

पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामलों) का विवरण एवं पुलिस और न्यायालय द्वारा उनका निपटान

राज्य/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र. स.	अपराध शीर्ष	जाँच स्तर											
		गत वर्ष से जाँच के लिए लम्बित मामले (गत वर्ष के कालम 22 से)	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामले			पंजीकृत मामलों में पीड़ितों की संख्या				जाँच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1)ख के अधीन जिन मामलों की जाँच हुई	अन्य पुलिस थाना / मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित किए गए मामले	वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में असत्य होने के कारण समाप्त किए गए
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के द्वारा	पुलिस थाना		कुल	पु.	म.	ती. लिंग	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जाँच स्तर							
वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में तथ्य या कानून की गलतबयानी के कारण समाप्त किए गए	वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट गैर-संज्ञेय प्रस्तुत किए गये	मामले जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए गए थे			मामले जिनमें अंतिम रिपोर्ट सत्य पायी गई लेकिन आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए	जाँच किए गए कुल मामले	वर्ष के अंत में जाँच के लिए रह गये लम्बित मामले
		वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल			
15	16	17	18	19	20	21	22

विचारण स्तर													
गत वर्ष के लम्बित विचाराधीन मामले (गत वर्ष के कॉलम 36 से)	वर्ष के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामले	सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	बातचीत और मध्यस्थता (प्ली बार्गेनिंग) द्वारा सुलझाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान विचारण के लिए कुल मामले	शमन अथवा वापिस लिए गए मामले	मामले जिसमें विचारण पूरा किया गया	दोषसिद्धि के मामले			दोषमुक्त या बरी किए गए मामले			वर्ष के अंत में विचारण के लिए लम्बित मामले
							वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

भाग-1 (भा. द. स. अपराध) :

1. हत्या (भा. द. स. की धारा 302)
2. हत्या करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 307)
3. सदोष मानव वध (भा. द. स.की धारा 304)
4. सदोष मानव वध करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 308)
5. बलात्संग (भा. द. स.की धारा 376)
 - 5.1 अभिरक्षा में बलात्संग
 - 5.1.1 सामूहिक बलात्संग

- 5.1.2 अन्य बलात्संग
- 5.2 अभिरक्षा के अतिरिक्त व्यभिचार
 - 5.2.1 सामूहिक बलात्संग
 - 5.2.2 अन्य बलात्संग
- 6. बलात्संग करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 376/511)
- 7. व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 363, 364, 364क, 365, 366, 367, 368 एवं 369)
 - 7.1 व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 363)
 - 7.2 हत्या के लिए व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स. की धारा 364)
 - 7.3 फिरौती इत्यादि हेतु व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 364क)
 - 7.4 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए स्त्री को व्यपहृत एवं अपहृत करना (भा. द. स.की धारा 366)
 - 7.5 अन्य
- 8. डकैती (भा. द. स.की धारा 395, 396, 397 एवं 398)
 - 8.1 डकैती के साथ हत्या (भा. द. स.की धारा 396)
 - 8.2 अन्य
- 9. डकैती करने के लिए तैयारी करना एवं एकत्रित होना (भा. द. स.की धारा 399 एवं 402)
- 10. लूट (भा. द. स.की धारा 392 से 394, 397 और 398)
- 11. आपराधिक अतिचार/सैंधमारी (भा. द. स.की धारा 453, 454, 455, 456, 457 से 460)
 - 11.1 आपराधिक अतिचार/सैंधमारी (भा. द. स.की धारा 455, 457 एवं 458)
 - 11.2 गृह-अतिचार और प्रच्छन्न गृह-अतिचार (भा. द. स.की धारा 453, 454, 456, 459 एवं 460)
- 12. चोरी (भा. द. स.की धारा 379 से 380, 381 एवं 382)
 - 12.1 वाहन चोरी
 - 12.2 अन्य चोरी
- 13. विधि विरुद्ध जमाव (भा. द. स.की धारा 143, 144 एवं 145)
- 14. बल्वा/दंगा (भा. द. स.की धारा 147 से 151 एवं 153क*)
 - 14.1 साम्प्रदायिक*
 - 14.2 औद्योगिक
 - 14.3 राजनैतिक
 - 14.4 जातीय संघर्ष
 - 14.4.1 अ. जा./ अ. ज.जा. बनाम गैर अ. जा./ अ. ज.जा.
 - 14.4.2 अन्य
 - 14.5 कृषि या कृषि-भूमि संबंधी
 - 14.6 विधार्थी
 - 14.7 सम्प्रदाय वादी (वर्ग संघर्ष)/पंथ गत/विशेष मत संबंधी संघर्ष
 - 14.8 अन्य (14.1 से 14.7 के अतिरिक्त)
- 15. आपराधिक न्यासभंग (भा. द. स.की धारा 406 से 409)
- 16. छल करना (भा. द. स.की धारा 420)
- 17. जालसाजी (भा. द. स.की धारा 465, 468 एवं 471)
- 18. कूटकरण (भा. द. स.की धारा 231-235, 237-240 एवं 242-243, 255 और 489क से 489ड़)

- 18.1 जाली सिक्कों से संबंधित अपराध (भा. द. स.की धारा 231-255, 237-240 एवं 242-243)
- 18.2 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण (भा. द. स.की धारा 255)
- 18.3 करेंसी एवं बैंक नोटों का कूटकरण (भा. द. स.की धारा 489क से 489इ)
 - 18.3.1 करेंसी नोटों एवं बैंक नोटों का कूटकरण (भा. द. स.की धारा 489क)
 - 18.3.2 कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना (भा.द.स.की धारा 489ख)
 - 18.3.3 कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना (भा. द. स.की धारा 489ग)
 - 18.3.4 करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना (भा. द. स.की धारा 489घ)
 - 18.3.5 करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग (भा. द. स.की धारा 489इ)
19. आगजनी (भा. द. स.की धारा 435, 436 एवं 438)
20. घोर उपहति / गंभीर चोट (भा. द. स.की धारा 325,326,326क एवं 326ख)
 - 20.1 घोर उपहति / गंभीर चोट (भा. द. स.की धारा 325 एवं 326)
 - 20.2 तेजाब से हमला (भा. द. स.की धारा 326क)
 - 20.3 तेजाब से हमले का प्रयास (भा. द. स.की धारा 326ख)
21. दहेज हत्या (भा. द. स.की धारा 304ख)
22. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (भा. द. स.की धारा 354)
 - 22.1 यौन उत्पीड़न (भा. द. स.की धारा 354क)
 - 22.2 स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (भा. द. स.की धारा 354ख)
 - 22.3 छिपकर देखना (भा. द. स.की धारा 354ग)
 - 22.4 पीछा करना (भा. द. स.की धारा 354घ)
 - 22.5 अन्य
23. स्त्री की लज्जा का अनादर (भा. द. स.की धारा 509)
 - 23.1 कार्यालय परिसर में
 - 23.2 कार्य से संबंधित अन्य स्थान
 - 23.3 सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में
 - 23.4 23.1, 23.2 एवं 23.3 के अतिरिक्त स्थान
24. किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता (भा. द. स.की धारा 498क)
25. विदेश से लड़की का आयात करना (भा. द. स.की धारा 366ख) 21 वर्ष तक
26. उपेक्षा द्वारा / लापरवाही से मृत्यु कारित करना (भा. द. स.की धारा 304क)
 - 26.1 लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई मृत्यु /सड़क दुर्घटना से संबंधित कलाप (भा. द. स.की धारा 304क)
 - 26.2 अन्य कारणों से मृत्यु (भा. द. स.की धारा 304क)
27. राज्य के विरुद्ध अपराध (भा. द. स.की धारा 121,121क,122,123,124क)
 - 27.1 राजद्रोह (भा. द. स.की धारा 124क)

- 27.2 अन्य (भा. द. स.की धारा 121,121क,122 एवं 123)
28. विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का समप्रवर्तन करने वाले अपराध (भा.द.स.की धारा 153क एवं 153ख)(बल्वा/दंगा के अलावा)
- 28.1 धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का समप्रवर्तन (भा. द. स.की धारा 153क) (बल्वा/दंगा के अलावा)
- 28.2 राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान (भा. द. स.की धारा 153ख)
29. उद्घाटन (भा. द. स.की धारा 384 एवं 385-389)
30. पीड़ितों की पहचान का प्रकटीकरण (भा. द. स.की धारा 228क)
31. अंधाधुंध वाहन चलाना (भा. द. स.की धारा 279 के अंतर्गत भा. द. स. की अन्य धाराओं जैसे 337 व 338 के साथ भी पढ़ा जाए)
32. मानव तस्करी (भा.द.स.की धारा 370 एवं 370 क)
33. अप्राकृतिक अपराध (भा.द.स.की धारा 377)
34. अन्य भा.द.स. अपराध
35. भा. द. स.के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराध (उपमदों को छोड़कर मद 1 से 34)

भाग-2 (स्था. वि. का. अपराध)

1. आयुध अधिनियम 1959
2. मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985
3. द्यूत (जुआ) अधिनियम, 1867
4. आबकारी अधिनियम, 1944
5. प्रतिषेध अधिनियम
6. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 और 1908
7. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
 - 7.1 धारा 5 के अंतर्गत
 - 7.2 धारा 6 के अंतर्गत
 - 7.3 धारा 7 के अंतर्गत
 - 7.4 धारा 8 के अंतर्गत
 - 7.5 अन्य
8. भारतीय रेल अधिनियम, 1989
9. विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
10. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
 - 10.1 अ. जा. के विरुद्ध गैर अ. जा. द्वारा किये गए अपराध हेतु
 - 10.2 अ. ज. जा. के विरुद्ध गैर अ. ज. जा. द्वारा किये गए अपराध हेतु
 - 10.3 अन्य के विरुद्ध किये गए अपराध हेतु
11. पासपोर्ट अधिनियम, 1967
12. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
13. पुरावशेष एवं बहुमूल्य कला संग्रह अधिनियम, 1972
14. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
15. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

16. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957
17. बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012
18. अ. जा/अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
 - 18.1 अ. जा. के विरुद्ध गैर अ. जा. द्वारा किये गए अपराध हेतु
 - 18.2 अ. ज. जा. के विरुद्ध गैर अ. ज. जा. द्वारा किये गए अपराध हेतु
19. वन अधिनियम, 1927
20. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
21. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
22. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधन के अनुरूप
23. शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923
24. विद्युत अधिनियम, 2003
25. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
26. बन्धित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
 - 26.1 अ. जा. के लिए
 - 26.2 अ. ज.जा. के लिए
 - 26.3 अन्य के लिए
27. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
28. वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
29. जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1988 में यथा संशोधित)
30. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
31. विधि विरुद्ध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967
32. युवा व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956
33. रेल सम्पत्ति (विधि - विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966
34. लोक-सम्पत्ति को क्षति निवारण अधिनियम, 1984
35. मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
36. व्यापार मार्का अधिनियम, 1999
37. राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम, 1971
(राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित)
38. भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005
39. लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998
40. नागरिकता अधिनियम, 1955
41. विदेशी अधिनियम, 1946
42. उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991
43. धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988
44. जन - प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (2010 में यथासंशोधित)
45. उत्प्रवासन अधिनियम, 1983
46. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
47. शिशु दुग्ध अनुकल्प, आहार बोटल एवं शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन)

संशोधन अधिनियम, 2003

48. विमान अपहरण निरोधक अधिनियम, 1982
49. परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962
50. सामूहिक विनाश के हथियार व उनकी निस्तारण प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रिया-कलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005
51. नागर विमानन की सुरक्षा के विपरीत विधि-विरुद्ध क्रिया-कलापों का दमन अधिनियम, 1982
52. नौ संचालन और महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थायी प्लेटफार्म की सुरक्षा के विपरीत विधि-विरुद्ध क्रिया-कलापों का दमन अधिनियम, 2002
53. सफाई कामगार का रोजगार एवं जलरहित शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993
54. प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994
55. भारत का समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य-ग्रहण का विनियमन) अधिनियम, 1981
56. अन्य स्था. वि. का. अपराध
57. स्था. वि. का.के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराध (उपशीर्षो को छोड़कर मद 1 से 56)

प्रपत्र-1 क

पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामलों) का विवरण एवं पुलिस और न्यायालय द्वारा उनका निपटान (अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों के विरुद्ध गैर अ.जा./अ.ज.जा.के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध)

राज्य/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र. स.	अपराध शीर्ष	जाँच स्तर											
		गत वर्ष से जाँच के लिए लम्बित मामले (गत वर्ष के कालम 22 से)	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामले			पंजीकृत मामलों में पीड़ितों की संख्या				जाँच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 157 (1)ख के अधीन जिन मामलों की जाँच हुई	अन्य पुलिस थाना / मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित किए गए मामले	वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में असत्य होने के कारण समाप्त किए गए
			दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के द्वारा	पुलिस थाना	कुल	पु.	म.	ती. लिंग	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जाँच स्तर							
वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में तथ्य या कानून की गलतबयानी के कारण समाप्त किए गए	वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट गैर-संज्ञेय प्रस्तुत किए गये	मामले जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए गए थे			मामले जिनमें अंतिम रिपोर्ट सत्य पायी गई लेकिन आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए	जाँच किए गए कुल मामले	वर्ष के अंत में जाँच के लिए रह गये लम्बित मामले
		वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल			
15	16	17	18	19	20	21	22

विचारण स्तर													
गत वर्ष के लम्बित विचाराधीन मामले (गत वर्ष के कॉलम 36 से)	वर्ष के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामले	सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	बातचीत और मध्यस्थता (प्ली बार्गेनिंग) द्वारा सुलझाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान विचारण के लिए कुल मामले	शमन अथवा वापिस लिए गए मामले	मामले जिसमें विचारण पूरा किया गया	दोषसिद्धि के मामले			दोषमुक्त या बरी किए गए मामले			वर्ष के अंत में विचारण के लिए लम्बित मामले
							वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

अ.जा. के व्यक्तियों के विरुद्ध गैर अ.जा. के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध

1. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
2. अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
 - 2.1 हत्या (भा.द.स.की धारा 302)
 - 2.2 हत्या का प्रयास (भा.द.स.की धारा 307)
 - 2.3 बलात्संग (भा.द.स.की धारा 376)
 - 2.4 बलात्संग का प्रयास (भा.द.स.की धारा 376/511)
 - 2.5 स्त्री (अ.जा.) की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (भा.द.स.की धारा 354)
 - 2.5.1 यौन उत्पीड़न (भा.द.स.की धारा 354क)
 - 2.5.2 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग (भा.द.स.की धारा 354 ख)
 - 2.5.3 छिपकर देखना (भा.द.स.की धारा 354 ग)
 - 2.5.4 पीछा करना (भा.द.स.की धारा 354 घ)
 - 2.5.5 अन्य
 - 2.6 महिलाओं (अ.जा.) की लज्जा का अनादर (भा.द.स.की धारा 509)
 - 2.7 व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 363,364,364क, 365, 366,367,368 व 369)
 - 2.7.1 व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 363)
 - 2.7.2 हत्या के लिए व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 364)
 - 2.7.3 फिरौती इत्यादि हेतु व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 364क)
 - 2.7.4 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए स्त्री को व्यपहृत एवं अपहृत करना (भा.द.स.की धारा 366)
 - 2.7.5 अन्य
 - 2.8 डकैती (भा.द.स.की धारा 395,396 397 एवं 398)
 - 2.8.1 डकैती के साथ हत्या (भा.द.स.की धारा 396)
 - 2.8.2 अन्य
 - 2.9 लूट (भा.द.स.की धारा 392 से 394, 397 एवं 398)
 - 2.10 (Arson) गृहदाह / आगजनी या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि (भा.द.स.की धारा 435,436 एवं 438)
 - 2.11 घोर उपहति / गंभीर चोट (भा.द.स.की धारा 325,326,326क एवं 326ख)
 - 2.11.1 घोर उपहति / गंभीर चोट (भा.द.स.की धारा 325, एवं 326)

- 2.11.2 तेजाब से हमला (भा.द.स.की धारा 326क)
- 2.11.3 तेजाब से हमले का प्रयास (भा.द.स.की धारा 326ख)
- 2.12 बल्वा/दंगा (भा.द.स.की धारा 147 से 151 एवं 153 क*)
- 2.13 अन्य भा.द.स. अपराध (2.1 से 2.12 तक निर्दिष्ट के अतिरिक्त)
- 2.14 अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम
- 2.15 अ.जा./अ.ज.जा.(अत्याचारों का निवारण) अधिनियम का कुल (2.1 से 2.14 का योग)
- 3. भा.द.स. अपराध (जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. (पी.ओ.ए.) अधिनियम लागू नहीं है ।
 - 3.1 हत्या (भा.द.स.की धारा 302)
 - 3.2 हत्या का प्रयास करना (भा.द.स.की धारा 307)
 - 3.3 बलात्संग (भा.द.स.की धारा 376)
 - 3.4 बलात्संग का प्रयास करना (भा.द.स.की धारा 376/511)
 - 3.5 स्त्री (अ.जा.) की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (भा.द.स.की धारा 354)
 - 3.5.1 यौन उत्पीड़न (भा.द.स.की धारा 354क)
 - 3.5.2 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग (भा.द.स.की धारा 354 ख)
 - 3.5.3 छिपकर देखना (भा.द.स.की धारा 354 ग)
 - 3.5.4 पीछा करना (भा.द.स.की धारा 354 घ)
 - 3.5.5 अन्य
 - 3.6 महिलाओं (अ.जा.) की लज्जा का अनादर (भा.द.स.की धारा 509)
 - 3.7 व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 363,364,364क, 365, 366, 367, 368 व 369)
 - 3.7.1 व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 363)
 - 3.7.2 हत्या के लिए व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 364)
 - 3.7.3 फिरौती इत्यादि हेतु व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 364क)
 - 3.7.4 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए स्त्री को व्यपहृत एवं अपहृत करना (भा.द.स.की धारा 366)
 - 3.7.5 अन्य
 - 3.8 डकैती (भा.द.स.की धारा 395,396 397 एवं 398)
 - 3.8.1 डकैती के साथ हत्या (भा.द.स.की धारा 396)
 - 3.8.2 अन्य
 - 3.9 लूट (भा.द.स.की धारा 392 से 394, 397 एवं 398)
 - 3.10 आगजनी (भा.द.स.की धारा 435, 436 एवं 438)
 - 3.11 घोर उपहति / गंभीर चोट (भा.द.स.की धारा 325,326,326क एवं 326ख)
 - 3.11.1 घोर उपहति / गंभीर चोट (भा.द.स.की धारा 325, एवं 326)
 - 3.11.2 तेजाब से हमला (भा.द.स.की धारा 326क)
 - 3.11.3 तेजाब से हमले का प्रयास (भा.द.स.की धारा 326ख)
 - 3.12 बल्वा/दंगा (भा.द.स.की धारा 147 से 151 एवं 153क*)
 - 3.13 अन्य भा.द.स. अपराध (3.1 से 3.12 तक निर्दिष्ट के अतिरिक्त)
 - 3.14 कुल (3.1 से 3.13 का योग)

बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध (18 वर्ष से कम आयु वर्ग)

1. हत्या (शिशु-हत्या को छोड़कर) (भा.द.स.की धारा 302)
2. शिशु - हत्या (भा.द.स.की धारा 315)
3. बलात्संग (भा.द.स.की धारा 376)
4. महिला (बालिका) की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (भा.द.स.की धारा 354)
 - 4.1 यौन उत्पीड़न (भा.द.स.की धारा 354क)
 - 4.2 महिला (बालिका)की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला अथवा आपराधिक बल का प्रयोग (भा.द.स.की धारा 354 ख)
 - 4.3 छिपकर देखना (भा.द.स.की धारा 354 ग)
 - 4.4 पीछा करना (भा.द.स.की धारा 354 घ)
 - 4.5 अन्य
5. महिलाओं (बालिकाओं)की लज्जा का अनादर (भा.द.स.की धारा 509)
6. व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 363,364,364क, 365, 366, 367, 368 एवं 369)
 - 6.1 व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 363)
 - 6.2 हत्या के लिए व्यपहरण एवं अपहरण (भा.द.स.की धारा 364)
 - 6.3 फिरौती इत्यादि के लिए व्यपहरण (भा.द.स.की धारा 364क)
 - 6.4 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए बालिका को व्यपहृत एवं अपहृत करना (भा.द.स.की धारा 366)
 - 6.5 अन्य
7. भ्रूण हत्या (भा.द.स.की धारा 315 और 316)
8. शिशु को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना (भा.द.स.की धारा 305)
9. अपावरण एवं परित्याग (भा.द.स.की धारा 317)
10. नाबालिग लड़की का उपायन (भा.द.स.की धारा 366 क)
11. विदेश से लड़की का आयात करना (भा.द.स.की धारा 366 ख) (18 वर्ष की आयु से कम)
12. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना (भा.द.स.की धारा 373)
13. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना (भा.द.स.की धारा 372)
14. बाल - विवाह का प्रतिषेध अधिनियम, 2006
15. मानव अंगों का प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (18 वर्ष की आयु से कम पीड़ित के लिए)
16. बाल-श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
 - 16.1 प्रवासियों के विरुद्ध किए गए अपराध
 - 16.1.1 अ. जा. प्रवासियों के विरुद्ध
 - 16.1.2 अ. ज. जा. प्रवासियों के विरुद्ध
 - 16.1.3 अन्य प्रवासियों के विरुद्ध
 - 16.2 स्थानिक (प्रवासियों के अतिरिक्त) के विरुद्ध किए गए अपराध
 - 16.2.1 अ. जा. के विरुद्ध
 - 16.2.2 अ. ज. जा. के विरुद्ध
 - 16.2.3 अन्य के विरुद्ध
17. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
 - 17.1 धारा 5 के अंतर्गत

- 17.2 धारा 6 के अंतर्गत
 17.3 धारा 7 के अंतर्गत
 17.4 धारा 8 के अंतर्गत
 17.5 अन्य
18. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2000)
19. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012
- 19.1 धारा 4 के अंतर्गत
 19.2 धारा 6 के अंतर्गत
 19.3 धारा 8 के अंतर्गत
 19.4 धारा 10 के अंतर्गत
 19.5 धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत
 19.6 अन्य
20. हत्या करने का प्रयास (भा.द.स.की धारा 307)
21. अप्राकृतिक अपराध (भा.द.स.की धारा 377)
22. मानव व्यापार (भा.द.स.की धारा 370 एवं 370 ए)
23. बच्चों के प्रति किए गए अन्य अपराध
24. बच्चों के प्रति कुल अपराध (उपशीर्षों को छोड़कर मद 1 से 23)

प्रपत्र - I ग

**पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामलों) का विवरण एवं पुलिस और न्यायालय द्वारा उनका निपटान
 (महिलाओं के प्रति किए गए अपराध)**

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	जाँच स्तर								
		गत वर्ष से जाँच के लिए लम्बित मामले (कॉलम 19 से)	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामले			पंजीकृत मामलों में पीड़ितों की संख्या	जाँच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1)ख के अधीन जिन मामलों की जाँच नहीं हुई	अन्य पुलिस थाना / मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित किए गए मामले	वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में असत्य होने के कारण समाप्त किए गए
(1)	(2)	(3)	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के द्वारा	पुलिस थाना	कुल					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

जाँच स्तर							
वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में तथ्य या कानून की गलतबयानी के कारण समाप्त किए गए	वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट गैर-संज्ञेय प्रस्तुत किए गये	मामले जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए गए थे			मामले जिनमें अंतिम रिपोर्ट सत्य पायी गई लेकिन आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए	जाँच किए गए कुल मामले	वर्ष के अंत में जाँच के लिए रह गये लम्बित मामले
		वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

विचारण स्तर													
गत वर्ष के लम्बित विचाराधीन मामले (कॉलम 24 से)	वर्ष के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामले	सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	बातचीत और मध्यस्थता (प्ली बार्गेनिंग) द्वारा सुलझाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान विचारण के लिए रह गए कुल मामले	शमन अथवा वापिस लिए गए मामले	मामले जिसमे विचारण पूरा किया गया	दोषसिद्धि के मामले			दोषमुक्त या बरी किए गए मामले			वर्ष के अंत में विचारण के लिए रह गए लम्बित मामले
							वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	27	28	29	30	31	32	33

भाग-1. महिलाओं के प्रति किए गए अपराध (केवल महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले)

1. बलात्संग (भा. द. स.की धारा 376)
 - 1.1 अभिरक्षा में बलात्संग
 - 1.1.1 सामूहिक बलात्संग
 - 1.1.2 अन्य बलात्संग
 - 1.2 अभिरक्षा के अतिरिक्त व्यभिचार
 - 1.2.1 सामूहिक बलात्संग
 - 1.2.2 अन्य बलात्संग
2. बलात्संग करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 376/511)
3. व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 363, 364, 364क, 365, 366, 367, 368 एवं 369)
 - 3.1 व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 363)
 - 3.2 हत्या के लिए व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स. की धारा 364)
 - 3.3 फिरौती इत्यादि हेतु व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 364क)
 - 3.4 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए स्त्री को व्यपहृत एवं अपहृत करना (भा. द. स.की धारा 366)
 - 3.5 अन्य
4. दहेज हत्या (भा. द. स.की धारा 304ख)
5. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (भा. द. स.की धारा 354)
 - 5.1 यौन उत्पीड़न (भा. द. स.की धारा 354क)
 - 5.2 स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (भा. द. स.की धारा 354ख)
 - 5.3 छिपकर देखना (भा. द. स.की धारा 354ग)
 - 5.4 पीछा करना (भा. द. स.की धारा 354घ)
 - 5.5 अन्य
6. स्त्री की लज्जा का अनादर (भा. द. स.की धारा 509)
 - 6.1 कार्यालय परिसर में
 - 6.2 कार्य से संबंधित अन्य स्थान
 - 6.3 सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में
 - 6.4 6.1, 6.2 एवं 6.3 के अतिरिक्त स्थान

7. किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता (भा. द. स.की धारा 498क)
8. विदेश से लड़की का आयात करना (भा. द. स.की धारा 366ख) 21 वर्ष तक
9. महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए उकसाना (भा.द.स.की धारा 306)
10. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
11. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
12. सती (निवारण) आयोग, अधिनियम, 1987
13. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
14. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
 - 14.1 धारा 5 के अंतर्गत
 - 14.2 धारा 6 के अंतर्गत
 - 14.3 धारा 7 के अंतर्गत
 - 14.4 धारा 8 के अंतर्गत
 - 14.5 अन्य
15. महिलाओं के प्रति कुल अपराध (उपशीर्षो को छोड़कर मद 1 से 14)

भाग-2. अपराधिक मामले जिसमें कि महिलाएं पीड़ित हैं (महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले के अलावा)

1. हत्या (भा.द.स.की धारा 302)
2. हत्या करने का प्रयास (भा.द.स.की धारा 307)
3. संदोष मानव-वध (भा.द.स.की धारा 304)
4. संदोष मानव-वध करने का प्रयास (भा.द.स.की धारा 308)
5. घोर उपहति/गंभीर चोट (भा.द.स.की धारा 325,326,326क एवं 326ख)
 - 5.1 उपहति कारित/गंभीर चोट (भा.द.स.की धारा 325 एवं 326)
 - 5.2 तेजाब से हमला (भा.द.स.की धारा 326क)
 - 5.3 तेजाब से हमले का प्रयास (भा.द.स.की धारा 326ख)
6. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु (भा.द.स.की धारा 314)
7. स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना (भा.द.स.की धारा 313)
8. डकैती (भा.द.स.की धारा 395, 396 , 397 एवं 398)
 - 8.1 डकैती के साथ हत्या (भा.द.स.की धारा 396)
 - 8.2 अन्य
9. लूट (भा.द.स.की धारा 392 से 394, 397 और 398)
10. आगजनी (भा.द.स.की धारा 435, 436 एवं 438)
11. मानव तस्करी (भा.द.स.की धारा 370 एवं 370 क)
12. अप्राकृतिक अपराध (भा.द.स.की धारा 377)
13. महिलाओं के प्रति अन्य भा.द.स. अपराध
14. महिलाओं के प्रति अन्य स्था. वि. का.अपराध
15. महिलाओं के प्रति कुल अपराध (उपशीर्षो को छोड़कर मद 1 से 14)

नोट: महिलाओं के प्रति अपराध प्रपत्र - I (भाग - ग) में उन सभी मर्दों के आकड़े जोकि प्रपत्र - I (भाग I तथा II) मे भी आए हैं , एक समान होंगे ।

पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामलों) का विवरण एवं पुलिस और न्यायालय द्वारा उनका निपटान
(वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किए गए अपराध)
(60 वर्ष एवं इससे अधिक)

राज्य/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र. स.	अपराध शीर्ष	जाँच स्तर															
		गत वर्ष से जाँच के लिए लम्बित मामले (गत वर्ष के कालम 22 से)	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामले	दण्ड प्रक्रिया	पुलिस थाना	कुल	पंजीकृत मामलों में पीड़ितों की संख्या				जाँच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1)ख के अधीन जिन मामलों की जाँच हुई	अन्य पुलिस थाना / मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित किए गए मामले	वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में असत्य होने के कारण समाप्त किए गए			
1	2	3	4	5	6	पु.	म.	ती. लिंग	कुल	7	8	9	10	11	12	13	14

जाँच स्तर								
वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में तथ्य या कानून की गलतबयानी के कारण समाप्त किए गए	वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट गैर-संज्ञेय प्रस्तुत किए गये	मामले जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए गए थे	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	मामले जिनमें अंतिम रिपोर्ट सत्य पायी गई लेकिन आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए	जाँच किए गए कुल मामले	वर्ष के अंत में जाँच के लिए रह गये लम्बित मामले
15	16	17	18	19	20	21	22	

विचारण स्तर													
गत वर्ष के लम्बित विचाराधीन मामले (गत वर्ष के कॉलम 36 से)	वर्ष के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामले	सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	बातचीत और मध्यस्थता (प्ली बार्गेनिंग) द्वारा सुलझाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान विचारण के लिए कुल मामले	शमन अथवा वापिस लिए गए मामले	मामले जिसमें विचारण पूरा किया गया	दोषसिद्धि के मामले			दोषमुक्त या बरी किए गए मामले			वर्ष के अंत में विचारण के लिए लम्बित मामले
							वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किए गए अपराध

(भा. द. स. अपराध)

- हत्या (भा.द.स.की धारा 302)
- हत्या करने का प्रयास (भा.द.स.की धारा 307)
- संदोष मानव-वध (भा.द.स.की धारा 304)

4. संदोष मानव-वध करने का प्रयास (भा.द.स.की धारा 308)
5. बलात्संग (भा.द.स.की धारा 376)
6. डकैती (भा.द.स.की धारा 395, 396, 397 एवं 398)
 - 6.1 डकैती के साथ हत्या (भा.द.स.की धारा 396)
 - 6.2 अन्य
7. डकैती करने के लिए तैयारी करना एवं एकत्रित होना (भा.द.स.की धारा 399 एवं 402)
8. लूट (भा.द.स.की धारा 392 से 394, 397 और 398)
9. घोर उपहति / गंभीर चोट (भा.द.स.की धारा 325,326,326क एवं 326ख)
 - 9.1 घोर उपहति / गंभीर चोट (भा.द.स.की धारा 325 एवं 326)
 - 9.2 तेजाब से हमला (भा.द.स.की धारा 326क)
 - 9.3 तेजाब से हमले का प्रयास (भा.द.स.की धारा 326ख)
10. उद्घापन (भा.द.स.की धारा 384)
11. छल करना (भा.द.स.की धारा 420)
12. अन्य भा.द.स. अपराध
13. भा.द.स. के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराध (उपशीर्षों को छोड़कर मद 1 से 12)

प्रपत्र- I इ

पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामलों) और पुलिस एवं न्यायालय द्वारा उनके निपटान का विवरण

(विदेशी अभियुक्तों द्वारा होने वाले अपराध)

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	जाँच एवं विचारण स्तर					
		गत वर्ष से जाँच के लिए लम्बित मामले	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामले	वर्ष के दौरान जाँच हेतु कुल मामले (कॉलम 3 +कॉलम 4)	पंजीकृत मामलों में पीड़ितों की संख्या	मामले जिनमें आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे	मामले जिनमें आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए गए थे बल्कि वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट सत्य होने के कारण अथवा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जाँच एवं विचारण स्तर								
वर्ष के दौरान जाँच किए गए कुल मामले (कॉलम 7 +कॉलम 8)	वर्ष के अंत में जाँच के लिए लम्बित मामले (कॉलम 5 - कॉलम 9)	पूर्व वर्ष के लम्बित विचाराधीन मामले	वर्ष के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामले	विचारण के लिए कुल मामलों की संख्या (कॉलम 11 +कॉलम 12)	दोषसिद्धि के मामले	दोषमुक्त व्यक्तियों / रिहा किए गए अथवा मामला वापस लिए गए अथवा किसी भी तरह निपटान किए गए मामले	जिन मामलों में विचारण पूरा किया गया (कॉलम 14 +कॉलम 15)	वर्ष के अंत में विचाराधीन मामले
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

जाँच और विचारण के स्तर पर व्यक्तियों का निपटान					
वर्ष के आरंभ में विचारण के स्तर पर हिरासत में अथवा जमानत पर रहने वाले व्यक्ति	वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	जाँच के लिए व्यक्तियों की कुल संख्या (कॉलम 18 + कॉलम 19)	जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए	जिन व्यक्तियों के मामलों का किसी भी रूप में निपटान कर दिया गया	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके मामलों की वर्ष के दौरान जाँच की गई (कॉलम 21+कॉलम 22)
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

जाँच और विचारण के स्तर पर व्यक्तियों का निपटान							
वर्ष के अंत में विचारण के स्तर पर हिरासत में अथवा जमानत पर रहने वाले व्यक्ति (कॉलम 20 - कॉलम 23)	वर्ष के आरंभ में विचारण के स्तर पर जमानत पर अथवा हिरासत में रहने वाले व्यक्ति कॉलम 31 के समान	वर्ष के दौरान विचारण के लिए व्यक्तियों की संख्या (कॉलम 21 +कॉलम 25)	दोषसिद्ध व्यक्ति	व्यक्ति जिन्हें दोषमुक्त किया गया	न्यायालय द्वारा रिहा किए गए या निपटारा किए गए व्यक्ति	व्यक्तियों की संख्या जिनके मामलों में विचारण पूरा हो गया था (कॉलम 27+ 28+ 29)	वर्ष के अंत में विचारण के स्तर पर जमानत पर अथवा हिरासत में रहने वाले व्यक्ति (कॉलम 26 - 30)
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)

टिप्पणी: निम्न के अनुसार अपराध शीर्ष

1. हत्या (भा.द.स.की धारा 302)
2. बलात्संग (भा.द.स.की धारा 376)
3. अप्राकृतिक अपराध (भा.द.स.की धारा 377)
4. छल करना (भा.द.स.की धारा 420)
5. जालसाजी (भा.द.स.की धारा 465, 468 एवं 471)
6. मादक द्रव्य मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985
7. पासपोर्ट अधिनियम, 1967
8. विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
9. विदेशी अधिनियम, 1946
10. शस्त्र अधिनियम, 1959
11. विस्फोटक एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 एवं 1908
12. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957
13. सूचना तकनीक अधिनियम, 2000 (2008 में यथासंशोधित)
14. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यथासंशोधित)
15. करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण (भा.द.स.की धारा 489 क से 489इ)
16. अन्य अपराध
17. कुल (उपशीर्षों को छोड़कर मद 1 से 16)

टिप्पणी: 'विदेशियों द्वारा किए गए अपराध में 'विदेशियों के विरुद्ध पंजीकृत सभी संज्ञेय मामले जैसे विदेशियों के विरुद्ध पंजीकृत मामले एवं उनका निपटान और गिरफ्तार किए गए विदेशी एवं उनका निपटान शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रपत्र में पंजीकृत मामलों और पुलिस एवं न्यायालय द्वारा उनके निपटान का विवरण है जिनमें अभियुक्त विदेशी हैं। (अन्य देश से सम्बन्धित हैं, रिपोर्ट किए जाएंगे)

टिप्पणी: सारणी में सभी विधिमान्यकरण जाँच और तार्किक सम्बन्ध दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रपत्र -I और प्रपत्र -II में निर्दिष्ट के अनुसार अन्य सभी तार्किक परीक्षण समान होंगे।

**पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामलों) और पुलिस एवं न्यायालय द्वारा उनके निपटान का विवरण
(विदेशियों के विरुद्ध होने वाले अपराध)**

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	जाँच एवं विचारण स्तर					
		पूर्व वर्ष के लम्बित जाँच के मामले	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामले	वर्ष के दौरान जाँच हेतु कुल मामले (कॉलम 3 +कॉलम 4)	पंजीकृत मामलों में पीड़ितों की संख्या	मामले जिनमें आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे	मामले जिनमें आरोप-पत्र दाखिल किए गए थे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जाँच एवं विचारण स्तर								
वर्ष के दौरान जाँच किए गए कुल मामले (कॉलम 7 +कॉलम 8)	वर्ष के अंत में लम्बित जाँच के मामले (कॉलम 5 - कॉलम 9)	पूर्व वर्ष के लम्बित विचाराधीन मामले	वर्ष के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामले	विचारण के लिए कुल मामलों की संख्या (कॉलम 11 +कॉलम 12)	दोषसिद्ध के मामले	दोषमुक्त व्यक्तियों / रिहा किए गए अथवा मामला वापस लिए गए अथवा किसी भी तरह निपटान किए गए मामले	जिन मामलों में विचारण पूरा किया गया (कॉलम 14 +कॉलम 15)	वर्ष के अंत में विचाराधीन मामले (कॉलम 13 - कॉलम 16)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

जाँच और विचारण के स्तर पर व्यक्तियों का निपटान					
वर्ष के आरंभ में विचारण के स्तर पर हिरासत में अथवा जमानत पर रहने वाले व्यक्ति	वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	जाँच के लिए व्यक्तियों की कुल संख्या (कॉलम 18 + कॉलम 19)	जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए	जिन व्यक्तियों के मामलों का किसी भी रूप में निपटान कर दिया गया	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके मामलों की वर्ष के दौरान जाँच की गई (कॉलम 21+कॉलम 22)
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

जाँच और विचारण के स्तर पर व्यक्तियों का निपटान							
वर्ष के अंत में विचारण के स्तर पर हिरासत में अथवा जमानत पर रहने वाले व्यक्ति (कॉलम 20- कॉलम 23)	वर्ष के आरंभ में विचारण के स्तर पर जमानत पर अथवा हिरासत में रहने वाले व्यक्ति पूर्व वर्ष के कॉलम 31 के समान	वर्ष के दौरान विचारण के लिए व्यक्तियों की संख्या (कॉलम 21+कॉलम 25)	दोषसिद्ध व्यक्ति	व्यक्ति जिन्हें दोषमुक्त किया गया	न्यायालय द्वारा रिहा किए गए या निपटारा किए गए व्यक्ति	व्यक्तियों की संख्या जिनके मामलों में विचारण पूरा हो गया था (कॉलम 27+ 28+ 29)	वर्ष के अंत में विचारण के स्तर पर जमानत पर अथवा हिरासत में रहने वाले व्यक्ति (कॉलम 26 - कॉलम 30)
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)

विदेशियों के विरुद्ध घटित अपराध:

1. विदेशी पर्यटक

- 1.1 हत्या (भा. द. स. की धारा 302)
- 1.2 हत्या करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 307)
- 1.3 संदोष मानव-वध (भा. द. स.की धारा 304)
- 1.4 संदोष मानव-वध करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 308)

- 1.5 बलात्संग (भा. द. स.की धारा 376)
- 1.6 बलात्संग करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 376/511)
- 1.7 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (भा. द. स.की धारा 354)
- 1.8 स्त्री की लज्जा का अपमान (भा. द. स.की धारा 509)
- 1.9 व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 363, 364, 364क, 365, 366, 367, 368 एवं 369)
- 1.10 डकैती (भा. द. स.की धारा 395, 396, 397 एवं 398)
- 1.11 लूट (भा. द. स.की धारा 392 से 394, 397 और 398)
- 1.12 घोर उपहति / गंभीर चोट (भा. द. स.की धारा 325, 326, 326क एवं 326ख)
- 1.13 जबरन वसूली (उद्घापन) (भा. द. स.की धारा 384 एवं 385-389)
- 1.14 छल करना (भा. द. स.की धारा 420)
- 1.15 चोरी (भा. द. स.की धारा 379 से 380, 381 एवं 382)
- 1.16 धोखेबाजी / कूटरचना / जालसाजी (भा. द. स.की धारा 465, 468 एवं 471)
- 1.17 विदेशों से लड़कियों का आयात करना (भा. द. स.की धारा 366ख) 21 वर्ष तक आयु वर्ग
- 1.18 पीड़ितों की पहचान का प्रकटीकरण (भा. द. स.की धारा 228क)
- 1.19 मानव तस्करी / व्यापार (भा.द.स.की धारा 370 एवं 370क)
- 1.20 अन्य भा. द. स.अपराध
- 1.21 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- 1.22. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- 1.23 अन्य स्था. वि. का. अपराध
- 1.24 उप कुल (1.1 से 1.23 का योग)

2. अन्य विदेशी

- 2.1 हत्या (भा. द. स. की धारा 302)
- 2.2 हत्या करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 307)
- 2.3 संदोष मानव वध (भा. द. स.की धारा 304)
- 2.4 संदोष मानव-वध करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 308)
- 2.5 बलात्संग (भा. द. स.की धारा 376)
- 2.6 बलात्संग करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 376/511)
- 2.7 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (भा. द. स.की धारा 354)
- 2.8 स्त्री की लज्जा का अपमान (भा. द. स.की धारा 509)
- 2.9 व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 363, 364, 364क, 365, 366, 367, 368 एवं 369)
- 2.10 डकैती (भा. द. स.की धारा 395, 396, 397 एवं 398)
- 2.11 लूट (भा. द. स.की धारा 392 से 394, 397 और 398)
- 2.12 घोर उपहति (भा. द. स.की धारा 325, 326, 326क एवं 326ख)
- 2.13 जबरन वसूली (उद्घापन) (भा. द. स.की धारा 384 एवं 385-389)
- 2.14 छल करना (भा. द. स.की धारा 420)
- 2.15 चोरी (भा. द. स.की धारा 379 से 380, 381 एवं 382)
- 2.16 धोखेबाजी / कूटरचना / जालसाजी (भा. द. स.की धारा 465, 468 एवं 471)
- 2.17 विदेशों से लड़कियों का आयात करना (भा. द. स.की धारा 366ख) 21 वर्ष तक का आयु वर्ग

- 2.18 पीड़ितों की पहचान का प्रकटीकरण (भा. द. स.की धारा 228क)
 2.19 मानव तस्करी / व्यापार (भा.द.स.की धारा 370 एवं 370क)
 2.20 अन्य भा. द. स. अपराध
 2.21 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
 2.22. स्त्री अश्लिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
 2.23 अन्य स्था. वि. का. अपराध
 2.24 उप योग (2.1 से 2.23 का योग)
3. कुल (1 और 2 का योग)

टिप्पणी: विदेशी पर्यटक वे विदेशी हैं जिन्होंने पर्यटक वीजा द्वारा भारत में भ्रमण किया था जबकि शेष विदेशियों को अन्य विदेशी के वर्ग में रखा जाता है। यह प्रपत्र उन सभी विदेशी पीड़ितों के लिए है जिन पर अपराध किए गए हैं।

प्रपत्र- II

संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार तथा अभियुक्त व्यक्तियों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान का विवरण

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किए गए अथवा मुक्त किए गए व्यक्ति या अन्य पुलिस थाने में हस्तांतरित व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति		
		पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान विचारण के अधीन व्यक्तियों की कुल संख्या			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामलों में न्यायालय द्वारा शमन करवाया गया			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामले वापस लिए गए थे		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के मामलों में विचारण हो चुका था			दोषसिद्ध व्यक्ति			दोषमुक्त व्यक्ति			न्यायालय द्वारा रिहा किए गए व्यक्ति		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

टिप्पणी: प्रपत्र - I (भाग - I और भाग - II) के अनुसार अपराध शीर्ष

संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार तथा अभियुक्त व्यक्तियों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान का विवरण

(अ.जा./अ.ज.जा.के व्यक्तियों के प्रति गैर अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों द्वारा होने वाले अपराध)

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किए गए अथवा मुक्त किए गए व्यक्ति या अन्य पुलिस थाने में हस्तांतरित व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति		
		पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान विचारण के अधीन व्यक्तियों की कुल संख्या			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामलों में न्यायालय द्वारा शमन करवाया गया			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामले वापस लिए गए थे		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के मामलों में विचारण हो चुका था			दोषसिद्ध व्यक्ति			दोषमुक्त व्यक्ति			न्यायालय द्वारा रिहा किए गए व्यक्ति		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

टिप्पणी: अ.जा. और अ.ज.जा. के प्रति होने वाले अपराध के लिए प्रपत्र - I क के अनुसार अपराध शीर्ष

संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार तथा अभियुक्त व्यक्तियों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान का विवरण

(बच्चों के प्रति होने वाले अपराध)

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किए गए अथवा मुक्त किए गए व्यक्ति या अन्य पुलिस थाने में हस्तांतरित व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति		
		पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान विचारण के अधीन व्यक्तियों की कुल संख्या			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामलों में न्यायालय द्वारा शमन करवाया गया			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामले वापस लिए गए थे		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के मामलों में विचारण हो चुका था			दोषसिद्ध व्यक्ति			दोषमुक्त व्यक्ति			न्यायालय द्वारा रिहा किए गए व्यक्ति		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

टिप्पणी: बच्चों के प्रति होने वाले अपराध के लिए प्रपत्र - I ख के अनुसार अपराध शीर्ष

प्रपत्र - II ग

संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार तथा अभियुक्त व्यक्तियों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान का विवरण (महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध)

राज्य स. शा. प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किए गए अथवा मुक्त किए गए व्यक्ति या अन्य पुलिस थाने में हस्तांतरित व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति		
		पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान विचारण के अधीन व्यक्तियों की कुल संख्या			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामलों में न्यायालय द्वारा शमन करवाया गया			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामले वापस लिए गए थे		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के मामलों में विचारण हो चुका था			दोषसिद्ध व्यक्ति			दोषमुक्त व्यक्ति			न्यायालय द्वारा रिहा किए गए व्यक्ति		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

टिप्पणी: महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के लिए प्रपत्र - I ग के अनुसार अपराध शीर्ष

संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार तथा अभियुक्त व्यक्तियों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान का विवरण

(वरिष्ठ नागरिकों के प्रति होने वाले अपराध)

(60 वर्ष और इससे अधिक)

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किए गए अथवा मुक्त किए गए व्यक्ति या अन्य पुलिस थाने में हस्तांतरित व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति		
		पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान विचारण के अधीन व्यक्तियों की कुल संख्या			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामलों में न्यायालय द्वारा शमन करवाया गया			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामले वापस लिए गए थे		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के मामलों में विचारण हो चुका था			दोषसिद्ध व्यक्ति			दोषमुक्त व्यक्ति			न्यायालय द्वारा रिहा किए गए व्यक्ति		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

टिप्पणी: वरिष्ठ नागरिकों के प्रति होने वाले अपराध के लिए प्रपत्र - I घ के अनुसार अपराध शीर्ष

संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार तीसरा लिंग व्यक्ति तथा उनका पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में या जमानत पर व्यक्ति	वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किए गए अथवा मुक्त किए गए व्यक्ति	वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में या जमानत पर व्यक्ति	वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए	वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में या जमानत पर व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

वर्ष के दौरान विचारण के अधीन व्यक्तियों की कुल संख्या	व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामलों में न्यायालय द्वारा शमन करवाया गया	व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामले वापस लिए गए थे	वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में या जमानत पर व्यक्ति	वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के मामलों में विचारण हो चुका था	दोषसिद्ध व्यक्ति	दोषमुक्त व्यक्ति	न्यायालय द्वारा रिहा किए गए व्यक्ति
9	10	11	12	13	14	15	16

भाग-1(भा.द.स. अपराध)

1. हत्या (भा.द.स.की धारा 302)
2. हत्या करने का प्रयास (भा. द. स.की धारा 307)
3. बलात्संग (भा.द.स.की धारा 376)
4. व्यपहरण एवं अपहरण (भा. द. स.की धारा 363, 364, 364क, 365, 366, 367, 368 एवं 369)
5. विधि विरुद्ध जमाव (भा. द. स.की धारा 143, 144 एवं 145)
6. बल्वा/दंगा (भा. द. स.की धारा 147 से 151 एवं 153 क*)
7. आपराधिक न्यास भंग/कपट (भा. द. स.की धारा 406 से 409)
8. छल करना (भा. द. स.की धारा 420)
9. धोखेबाजी / कूटरचना / जालसाजी (भा. द. स.की धारा 465, 468 एवं 471)
10. करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण (भा.द.स.की धारा 231-235, 237-240 व 242-243, 255 तथा 489 क से 489इ)
11. आगजनी (भा. द. स.की धारा 435, 436 एवं 438)
12. घोर उपहति / गंभीर चोट (भा. द. स.की धारा 325,326,326क एवं 326ख)
13. मानव तस्करी (भा.द.स.की धारा 370 एवं 370क)
14. अन्य भा.द.स. अपराध
15. भा.द.स.के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराध (मद 1 से 14)

भाग-2 (अपराध)

1. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
2. विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यथासंशोधित)
3. मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
4. जन - प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (2010 में यथासंशोधित)
5. अन्य स्था. वि. का.अपराध
6. स्था. वि. का. के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराध (मद 1 से 5)

भा.द.स. के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की घटना का जिलावार विवरण

राज्य स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

जिले का नाम

1.

2.

3.

क्रमशः

(सभी जिलों) का योग

टिप्पणी: प्रपत्र - I भाग - I के अनुसार अनुप्रस्थ रूप में अपराध शीर्ष

प्रपत्र - III क

स्था. वि. का. के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की घटना का जिलावार विवरण

जिले का नाम

1.

2.

3.

क्रमशः

टिप्पणी: प्रपत्र - I भाग - I के अनुसार अनुप्रस्थ रूप में अपराध शीर्ष

प्रपत्र - III ख (भाग-I)

अ.जा. के प्रति गैर अ.जा. द्वारा होने वाले जिलावार अपराध

जिले का नाम

1.

2.

3.

क्रमशः

(सभी जिलों) का योग

टिप्पणी: अ.जा. के प्रति होने वाले अपराध हेतु प्रपत्र -Iक (भाग- I) के अनुसार अनुप्रस्थ रूप में अपराध शीर्ष

प्रपत्र - III ख (भाग-II)

अ.ज.जा. के प्रति गैर अ.ज.जा. के द्वारा होने वाले जिलावार अपराध

जिले का नाम

1.

2.

3.

क्रमशः

(सभी जिलों) का योग

टिप्पणी: अ.ज.जा. के प्रति होने वाले अपराध हेतु प्रपत्र- I क (भाग- II) के अनुसार अनुप्रस्थ रूप में अपराध शीर्ष

प्रपत्र - III ग

बच्चों के प्रति होने वाले जिलावार अपराध (18 वर्ष से कम आयु वर्ग)

जिले का नाम

1.

2.

3.

क्रमशः

(सभी जिलों) का योग

टिप्पणी: बच्चों के प्रति होने वाले अपराध हेतु प्रपत्र - I ख के अनुसार अनुलंब रूप में अपराध शीर्ष

प्रपत्र - III घ

महिलाओं के प्रति होने वाले जिलावार अपराध

जिले का नाम

1.

2.

3.

क्रमशः

(सभी जिलों) का योग

टिप्पणी: महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हेतु प्रपत्र - I ग के अनुसार अनुलंब रूप में अपराध शीर्ष के साथ प्रपत्र - I

(भाग - I और II) के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध के अन्य शीर्ष

प्रपत्र - III ङ

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति होने वाले जिलावार अपराध

जिले का नाम

1.

2.

3.

क्रमशः

(सभी जिलों) का योग

टिप्पणी: वरिष्ठ नागरिकों के प्रति होने वाले अपराध हेतु प्रपत्र - I घ के अनुसार अनुलंब रूप में अपराध शीर्ष

विदेशी अभियुक्तों द्वारा किये जाने वाले जिलावार अपराध

जिले का नाम

- 1.
- 2.
- 3.

क्रमशः

(सभी जिलों) का योग

टिप्पणी: विदेशी अभियुक्तों द्वारा होने वाले अपराध हेतु प्रपत्र -I इ के अनुसार अनुलंब रूप में अपराध शीर्ष

विदेशियों के प्रति होने वाले जिलावार अपराध

जिले का नाम

- 1.
- 2.
- 3.

क्रमशः

(सभी जिलों) का योग

टिप्पणी: विदेशियों के प्रति होने वाले अपराध हेतु प्रपत्र -I च के अनुसार अनुलंब रूप में अपराध शीर्ष

लिंग एवं आयु-वर्ग के अनुसार गिरफ्तार किए गए (18 साल और उससे अधिक) व्यक्तियों का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र. स.	अपराध शीर्ष	18 वर्ष और इससे अधिक एवं 30 वर्ष से कम			30 वर्ष और इससे अधिक एवं 45 वर्ष से कम			45 वर्ष और इससे अधिक एवं 60 वर्ष से कम			60 वर्ष और इससे अधिक			कुल आयु-वर्ग का जोड़		सभी व्यक्तियों का कुल योग (कॉलम 15+16)
		पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष (कॉलम 3+6+9+12)	स्त्री (कॉलम 4+7+10+13)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

टिप्पणी: प्रपत्र भाग - I और भाग - II के अनुसार अपराध शीर्ष

कानून विरोधी किशोर (भा.द.स. एवं स्था.वि. का.)

बंदी बनाए गए किशोरों का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र. स.	अपराध शीर्ष	किशोरों के प्रति दर्ज किए गए मामलों की कुल सं.	किशोरों का आयु वर्ग										कुल योग (कॉलम 13+14)	
			12 वर्ष से कम			12 वर्ष एवं अधिक 16 वर्ष से कम			16 वर्ष एवं अधिक 18 वर्ष से कम			कुल आयु-वर्ग का जोड़		
			लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के (कॉलम 4+7+10)		लड़कियाँ (कॉलम 5+8+11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

टिप्पणी: प्रपत्र भाग - I और भाग - II के अनुसार अपराध शीर्ष

बंदी बनाए गए किशोर और उनके निपटान का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

किशोरों की संख्या जिनके मामले वर्ष के आरंभ में निपटान के लिए लम्बित हैं	उस वर्ष के दौरान बंदी बनाए गए किशोर	बंदी बनाए गए किशोरों की कुल संख्या कॉलम (1+2)	किशोरों की संख्या जिन्हें सलाह या चेतावनी के बाद घर भेज दिया गया	किशोर जिन्हें अच्छे व्यवहार के कारण परीवीक्षा पर रिहा किया गया और माता-पिता/ संरक्षक की देखरेख में रखा गया	किशोर जिन्हें अच्छे व्यवहार के कारण परीवीक्षा पर रिहा किया गया और सुधार संस्थानों की देखरेख में रखा गया	विशेष सुधार गृह में भेजे गए किशोरों की संख्या	किशोरों की संख्या जिन पर जुर्माना लगाया गया	किशोरों की संख्या जिन्हें दोषमुक्त किया गया अथवा अन्य किसी कारण से निपटान कर दिया गया	किशोर जिनके मामले वर्ष के अंत में निपटान के लिए लम्बित थे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

भा.द.स. अपराध के अंतर्गत चुराई गई और बरामद की गई (मूल्य) सम्पत्ति का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र. स.	अपराध (संज्ञेय)	उन मामलों की संख्या जिनमें सम्पत्ति चुराई गई थी	उन मामलों की संख्या जिनमें सम्पत्ति बरामद की गई थी	चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य	बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. डकैती
2. आपराधिक अतिचार/संधमारी
3. चोरी

4. लूट (भा. द. स.की धारा 392 से 394, 397 और 398)
5. चैन स्नैचिंग/छीना-झपटी (भा. द. स.की धारा 356 को भा. द. स.की अन्य धाराओं के साथ)
6. अन्य छीना-झपटी (भा. द. स.की धारा 356 को भा. द. स.की अन्य धाराओं के साथ)
7. अन्य प्रकार के सम्पत्ति अपराध जो उपरोक्त में शामिल नहीं है
8. कुल (उपशीर्षो को छोड़कर मद 1 से 7)

नोट: अगर चैन स्नैचिंग भा.द.स. की अन्य धाराओं जैसे कि लूट या चोरी संबंधित मामले ऐसी स्थिति में इसे मद 5 में ही लिया जाए एवं ऐसे सारे मामले लूट या चोरी से घटा लिये जाएं ।

प्रपत्र - VIII

चुराई गई और बरामद की गई सम्पत्ति की प्रकृति/प्रकार का विवरण (मूल्य एवं प्रकृति)

क्र. स.	चुराई गई सम्पत्ति का स्वरूप	उन मामलों की संख्या जिनमें सम्पत्ति चुराई गई थी	उन मामलों की संख्या जिनमें सम्पत्ति बरामद की गई थी	चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य	बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. संचार एवं विद्युत तार
2. पशु
3. साईकिल
4. मोटर वाहन
 - (i) मोटर साईकिल/स्कूटर
 - (ii) हल्के मोटर वाहन
 - (क) कार
 - (ख) खेलोपयोगी (एस.यू.वी.)/बहु-उपयोगी वाहन
 - (ग) अन्य हल्के मोटर वाहन (टैक्सी/जीप/वैन इत्यादि)
 - (iii) सामान ढोने वाले वाहन (ट्रक इत्यादि)
 - (iv) सार्वजनिक परिवहन (बस)
 - (v) तिपहिया ऑटो
 - (vi) अन्य वाहन
5. आग्नेयास्त्रों
 - (क) नियमित
 - (ख) देश निर्मित
6. विस्फोटक/ विस्फोटक पदार्थ
7. विद्युत उपकरण
 - (i) मोबाइल फोन
 - (ii) लेपटाप
 - (iii) अन्य विद्युत उपकरण जैसे आइ.पैड/आइ.पोड इत्यादि
8. पुरावशेष सहित सांस्कृतिक सम्पत्ति
9. अन्य प्रकार की चुराई गई सम्पत्ति
10. कुल (उपशीर्षो को छोड़कर मद 1 से 9)

I. गुमशुदा / शिनाख्त / गैर-शिनाख्त व्यक्तियों और पंजीकृत मामलों का विवरण

क्र. स./ लिंग और आयु-वर्ग	वर्ष के आरम्भ मे गुमशुदा व्यक्ति	दर्ज किए गए मामले/शिकायतें	गुमशुदा दर्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या	शिनाख्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	गैर-शिनाख्त व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. पुरुष

- (i) 5 वर्ष से कम
- (ii) 5 वर्ष और इससे अधिक - 14 वर्ष से कम
- (iii) 14 वर्ष और इससे अधिक - 18 वर्ष से कम
- (iv) 18 वर्ष और इससे अधिक - 60 वर्ष से कम
- (v) 60 वर्ष और इससे अधिक

2. स्त्री

- (i) 5 वर्ष से कम
- (ii) 5 वर्ष और इससे अधिक - 14 वर्ष से कम
- (iii) 14 वर्ष और इससे अधिक - 18 वर्ष से कम
- (iv) 18 वर्ष और इससे अधिक - 60 वर्ष से कम
- (v) 60 वर्ष और इससे अधिक

3. कुल

- (i) 5 वर्ष से कम
- (ii) 5 वर्ष और इससे अधिक - 14 वर्ष से कम
- (iii) 14 वर्ष और इससे अधिक - 18 वर्ष से कम
- (iv) 18 वर्ष और इससे अधिक - 60 वर्ष से कम
- (v) 60 वर्ष और इससे अधिक

II. गैर-शिनाख्त व्यक्तियों की अवधि का विवरण

क्र. स./ लिंग और आयु-वर्ग	6 माह से कम गैर - शिनाख्त	6 माह से 1 वर्ष के बीच गैर - शिनाख्त	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच गैर - शिनाख्त	2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच गैर - शिनाख्त	5 वर्ष या अधिक गैर -शिनाख्त	गैर -शिनाख्त व्यक्तियों की कुल संख्या कॉलम (3+4+5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. पुरुष

- (i) 5 वर्ष से कम
- (ii) 5 वर्ष और इससे अधिक - 14 वर्ष से कम
- (iii) 14 वर्ष और इससे अधिक - 18 वर्ष से कम
- (iv) 18 वर्ष और इससे अधिक - 60 वर्ष से कम
- (v) 60 वर्ष और इससे अधिक

2. स्त्री

- (i) 5 वर्ष से कम
- (ii) 5 वर्ष और इससे अधिक - 14 वर्ष से कम
- (iii) 14 वर्ष और इससे अधिक - 18 वर्ष से कम
- (iv) 18 वर्ष और इससे अधिक - 60 वर्ष से कम
- (v) 60 वर्ष और इससे अधिक

3. कुल

- (i) 5 वर्ष से कम
- (ii) 5 वर्ष और इससे अधिक - 14 वर्ष से कम
- (iii) 14 वर्ष और इससे अधिक - 18 वर्ष से कम
- (iv) 18 वर्ष और इससे अधिक - 60 वर्ष से कम
- (v) 60 वर्ष और इससे अधिक

प्रपत्र - X

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

1. ड्यूटी पर मारे गए अथवा घायल हुए पुलिस कर्मियों का विवरण

क्र. स.	पद नाम	मारे गए							
		आतंकवादी/उग्रवादी अभियान में	वामपंथी उग्रवादी अभियान में	डकैती एवं अन्य छापेमारी निराधक	उपद्रवी भीड़ द्वारा	अन्य अपराधियों द्वारा	सीमा पर ड्यूटी में	दुर्घटनाओं में	कुल कॉलम (3+4+5+6+7+8+9=10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

घायल हुए							
आतंकवादी/उग्रवादी अभियान में	वामपंथी उग्रवादी अभियान में	डकैती एवं अन्य छापेमारी निराधक	उपद्रवी भीड़ द्वारा	अन्य अपराधियों द्वारा	सीमा पर ड्यूटी में	दुर्घटनाओं में	कुल कॉलम (3+4+5+6+7+8+9=10)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

1. ड्यूटी पर मारे गए एवं घायल हुए पुलिस कर्मों

- 1.1 सिपाही
- 1.2 मुख्य सिपाही
- 1.3 सहायक उप-निरीक्षक
- 1.4 उप-निरीक्षक
- 1.5 निरीक्षक
- 1.6 अन्य राजपत्रित अधिकारी
- 1.7 कुल (मद 1.1 से 1.6)

2. ड्यूटी पर मारे गए पुलिस कर्मियों का आयु-वार जीवनवृत्त

कर्मियों की कुल संख्या	कर्मियों का आयु-वार जीवन वृत्त			
	18 वर्ष और इससे अधिक - 30 वर्ष से कम	30 वर्ष और इससे अधिक - 45 वर्ष से कम	45 वर्ष और इससे अधिक - 60 वर्ष से कम	60 वर्ष और इससे अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कॉलम 1 के अंतर्गत कुल = प्रपत्र 10.1 के मद 1.7 कॉलम 10 के अंतर्गत कुल

कॉलम 2 से 5 का योग = कॉलम 1

3. पुलिस कर्मियों की स्वाभाविक मृत्यु एवं आत्महत्या

क्र. स.	पुलिस कर्मियों की संख्या	18 वर्ष और इससे अधिक - 30 वर्ष से कम	30 वर्ष और इससे अधिक - 45 वर्ष से कम	45 वर्ष और इससे अधिक - 60 वर्ष से कम	60 वर्ष और इससे अधिक	कुल कॉलम (3+4+5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	मृतक पुलिस कर्मियों की संख्या(स्वाभाविक मृत्यु के कारण) सेवाकाल के दौरान 3.1.1 सिविल पुलिस 3.1.2 सशस्त्र पुलिस 3.1.3 अन्य (अपराध जाँच विभाग, खुफिया, रेडियो स्कंध कम्प्यूटर, आर्थिक अपराध स्कंध)					
3.2	आत्महत्या करने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या 3.2.1 सिविल पुलिस 3.1.2 सशस्त्र पुलिस 3.1.3 अन्य(अपराध जाँच विभाग, खुफिया, रेडियो स्कंध कम्प्यूटर, आर्थिक अपराध स्कंध)					

4. मारे गए अथवा घायल हुए असैनिकों का विवरण

क्र. स.	मारे गए							
	आतंकवादी/ सैनिकों द्वारा	नक्सलियों/ वामपंथी उग्रवादियों द्वारा (LWE)	बम विस्फोट द्वारा	बल्वा के दौरान	अपराध की घटनाओं जैसे डकैती/लूटपाट इत्यादि के दौरान	सीमा पार गोलाबारी में	पुलिस अभियान के दौरान संयोग से दुतरफा गोलाबारी में	कुल कॉलम (3+4+5+6+7+8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

घायल हुए							
आतंकवादी/ सैनिकों द्वारा	नक्सलियों/ वामपंथी उग्रवादियों द्वारा (LWE)	बम विस्फोट द्वारा	बल्वा के दौरान	अपराध की घटनाओं जैसे डकैती/लूटपाट इत्यादि के दौरान	सीमा पार गोलाबारी में	पुलिस अभियान के दौरान संयोग से दुतरफा गोलाबारी में	कुल कॉलम (11+12+13+14+ 15+16)
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

टिप्पणी: पुलिस द्वारा गोलाबारी में मारे गए/घायल हुए असैनिकों को इससे अलग किया जाए (प्रपत्र - XI को छोड़कर)

यह प्रपत्र विशेष रूप से प्रपत्र - XI में उल्लेखित पुलिस द्वारा गोलाबारी की अपेक्षा असैनिकों के घायल होने पर आंकड़े एकत्र करने के लिए बनाया गया है।

प्रपत्र - XI

पुलिस द्वारा गोलाबारी में आहतों का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र. स.	घटना का प्रकार	मौके जिन पर पुलिस द्वारा गोलाबारी की गई	पंजीकृत मामले	असैनिक		पुलिस कर्मी	
				मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1. बल्वा
2. व्यक्तिगत/स्वयं सुरक्षा का अधिकार
3. गिरफ्तारी को प्रभावित करने हेतु
4. अन्य के विरुद्ध
5. कुल (मद 1 से 4)

प्रपत्र - XI क

पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज में आहतों का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र. स.	घटना का प्रकार	मौके जिन पर पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज की गई	पंजीकृत मामले	असैनिक		पुलिस कर्मी	
				मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1. बल्वा
2. व्यक्तिगत/स्वयं सुरक्षा का अधिकार
3. गिरफ्तारी को प्रभावित करने हेतु
4. अन्य के विरुद्ध
5. कुल (मद 1 से 4)

पंजीकृत मामले और डकैती, लूट, संधमारी और चोरी के तहत घटना-स्थल से चोरी की गई सम्पत्ति का मूल्य

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र.स.	घटना स्थल	डकैती		लूट		आपराधिक अतिचार/संधमारी		चोरी	
		दर्ज किए गए मामलों की संख्या	चोरी की गई सम्पत्ति का मूल्य	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	चोरी की गई सम्पत्ति का मूल्य	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	चोरी की गई सम्पत्ति का मूल्य	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	चोरी की गई सम्पत्ति का मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1. आवासीय परिसर
2. राजमार्ग/सड़क
3. नदी और समुद्र
4. रेलवे (चलती हुई रेलगाड़ी तथा अन्य रेलगाड़ीयाँ)
5. धार्मिक स्थल
6. ए. टी. एम.
7. बैंक
8. वाणिज्यिक संस्थापना (दुकान इत्यादि)
9. अन्य स्थल
10. कुल (उपशीर्षों को छोड़कर मद 1 से 9)

गिरफ्तार किए गए किशोरों का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

(क) शिक्षा के अनुसार

1. निरक्षर
 2. प्राथमिक तक (कक्षा 5वीं तक)
 3. प्राथमिक से अधिक परंतु मैट्रिक तक / उच्च माध्यमिक से कम
 4. उच्च माध्यमिक एवं अधिक
- कुल (मद 1 से 4)

(ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार

1. माता-पिता के साथ रहने वाले
2. संरक्षक के साथ रहने वाले
3. बेघर

कुल (मद 1 से 3)

(ग) आर्थिक आधार के अनुसार

1. वार्षिक आय (25,000 रु तक)
2. वार्षिक आय (25,000 रु से 50,000 रु)

3. मध्यम आय (1) (50,000 रु से 1,00,000 रु)
4. मध्यम आय (2) (1,00,000 रु से 2,00,000 रु)
5. उच्च मध्यम आय (2,00,000 रु से 3,00,000 रु)
6. उच्च आय (3,00,000 रु से उपर)

कुल (मद 1 से 6)

(घ) अपराध व्यसन

1. प्रथम बार कानून का सामना करने वाले किशोर
2. एक से अधिक बार कानून का सामना करने वाले किशोर

कुल (मद 1 से 2)

प्रपत्र - XIV

हत्या का उद्देश्य/कारण और हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र.स.	उद्देश्य /कारण	के तहत पंजीकृत मामलों की संख्या	
		हत्या (धारा 302 भा.द.स.)	हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव-वध
(1)	(2)	(3)	(4)

1. लाभ
2. सम्पत्ति विवाद
3. व्यक्तिगत वैमनस्य अथवा शत्रुता
4. दहेज हेतु हत्या (भा. द. स. की धारा 302)(304 बी को छोड़कर)
5. पागलपन
6. जादू - टोना
7. बाल/मानव-बलि
8. साम्प्रदायिकता
9. जातिवाद
10. वर्ग-द्वन्द्व
11. राजनैतिक कारण हेतु
12. सम्मान हेतु हत्या
13. बलात्संग
14. सामूहिक बलात्संग
15. प्रेम प्रसंग
16. अवैध संबंध
17. व्यपहरण एवं अपहरण
18. अन्य कारण अथवा उद्देश्य
19. कुल (मद 1 से 18)

टिप्पणी: हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध (सी.एच.) के मामलों में कुछ कारण/उद्देश्य (क्र.स. 1 से 15 में उल्लेखित के अनुसार) सुमेलित नहीं हैं। इन मामलों में अन्वेषण की अवधि के दौरान पाए गए अनुपयुक्त उद्देश्य/कारणों को रिक्त छोड़ते हुए, उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार उद्देश्य/कारण दिए जाए।

हत्या के पीड़ित

क्र. स.	लिंग	आयु-वर्ग								कुल पीड़ित
		6 वर्ष से कम	6 वर्ष और इससे अधिक-12 वर्ष से कम	12 वर्ष और इससे अधिक-16 वर्ष से कम	16 वर्ष और इससे अधिक-18 वर्ष से कम	18 वर्ष और इससे अधिक-30 वर्ष से कम	30 वर्ष और इससे अधिक-45 वर्ष से कम	45 वर्ष और इससे अधिक-60 वर्ष से कम	45 वर्ष और इससे अधिक-60 वर्ष से कम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

1. पुरुष
2. महिला
3. कुल (1+2)

हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव-वध के पीड़ित

क्र. स.	लिंग	आयु-वर्ग								कुल पीड़ित
		6 वर्ष से कम	6 वर्ष और इससे अधिक-12 वर्ष से कम	12 वर्ष और इससे अधिक-16 वर्ष से कम	16 वर्ष और इससे अधिक-18 वर्ष से कम	18 वर्ष और इससे अधिक-30 वर्ष से कम	30 वर्ष और इससे अधिक-45 वर्ष से कम	45 वर्ष और इससे अधिक-60 वर्ष से कम	45 वर्ष और इससे अधिक-60 वर्ष से कम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

1. पुरुष
2. महिला
3. कुल (1+2)

हत्या के मामलों में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग

1. आग्नेयास्त्रों द्वारा हत्या (पीड़ितों की सं.)
2. लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्रों द्वारा हत्या (पीड़ितों की सं.)
- 3 लाइसेंस-रहित/तात्कालिक/अपरिष्कृत/देश निर्मित आग्नेयास्त्रों इत्यादि (पीड़ितों की संख्या)

बलात्संग के मामलों और बलात्संग के पीड़ितों के आयु - वर्ग का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

15(क). कौटुम्बिक व्यभिचार (भा. द. स.की धारा 376)

लैंगिक उत्पीड़न मामलों का प्रकार	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	महिला पीड़ितों की संख्या (तीसरा लिंग सम्मिलित)								
		6 वर्ष से कम	6 वर्ष और इससे अधिक-12 वर्ष से कम	12 वर्ष और इससे अधिक-16 वर्ष से कम	16 वर्ष और इससे अधिक-18 वर्ष से कम	18 वर्ष और इससे अधिक-30 वर्ष से कम	30 वर्ष और इससे अधिक-45 वर्ष से कम	45 वर्ष और इससे अधिक-60 वर्ष से कम	60 वर्ष और इससे अधिक	कुल पीड़ित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

1.1.1 कौटुम्बिक व्यभिचार/ बलात्संग के मामले

1.2.1 अन्य बलात्संग मामले

1.2.3 कुल

15(ख). यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (भा. द. स.का धारा 4 एवं 6)

लैंगिक उत्पीड़न मामलों का प्रकार	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	पीड़ितों की संख्या				
		6 वर्ष से कम	6 वर्ष और इससे अधिक-12 वर्ष से कम	12 वर्ष और इससे अधिक-16 वर्ष से कम	16 वर्ष और इससे अधिक-18 वर्ष से कम	कुल पीड़ित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

1.1.1 कौटुम्बिक व्यभिचार/ बलात्संग के मामले

1.2.1 अन्य बलात्संग मामले

1.2.3 कुल

15(ग). बलात्संग के पीड़ित से अपराधी का सम्बन्ध, निकटता (भा. द. स.की धारा 376)

उन मामलों की संख्या जिनमें पीड़ित अपराधी को जानते थे	उन मामलों की संख्या जिनमें पीड़ित अपराधी को जानते थे					
	दादा/पिता/भाई/पुत्र इत्यादि	घनिष्ठ पारिवारिक सदस्य (कॉलम 2 के अतिरिक्त)	सम्बन्धी (कॉलम 2 और 3 के अतिरिक्त)	पड़ोसी	नियोक्ता/सहकर्मी	संबंधित/साथ में रहने वाला व्यक्ति या परित्याग पति या पूर्व पति
1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6

उन मामलों की संख्या जिनमें अपराधी जान-पहचान के थे	बलात्संग मामले जिसमें कि अपराधी की पहचान नहीं की जा सकी/ अज्ञात बलात्संग मामले	
विवाह के बहाने ज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्संग	अन्य जान-पहचान के व्यक्ति	
1.7)	1.8	2.

15(घ). यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (भा. द. स.की धारा 4 एवं 6)

उन मामलों की संख्या जिनमें पीड़ित अपराधी को जानते थे	उन मामलों की संख्या जिनमें पीड़ित अपराधी को जानत थे						बलात्संग मामले जिसमें कि अपराधी की पहचान नहीं की जा सकी/ अज्ञात बलात्संग मामले
	दादा/पिता/भाई /पुत्र इत्यादि	घनिष्ठ पारिवारिक सदस्य (कॉलम 2 के अतिरिक्त)	सम्बन्धी (कॉलम 2 और 3 के अतिरिक्त)	पड़ोसी	विवाह के बहाने ज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्संग	अन्य जान-पहचान के व्यक्ति	
1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.

टिप्पणी: घनिष्ठ पारिवारिक सदस्यों में रक्त सम्बन्धियों को छोड़कर चाचा/मामा, भतीजा, सौतेला पिता इत्यादि शामिल हैं

प्रपत्र - XVI

भा. द. स. और अपराध व्यसन के मामलों के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का विवरण

राज्य/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

भा.द.स. के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	प्रथम बार गिरफ्तार किए गए अपराधियों की संख्या	अतीत में दोषसिद्ध अपराधियों की संख्या		
		एक बार	दो बार	तीन बार अथवा इससे अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामलों) का विवरण एवं सर्तकता /

भ्रष्टाचार निरोधक विभागों द्वारा उनका निपटान

राज्य/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र. स.	अन्वेषण स्तर							
	अपराध शीर्ष	पिछले वर्ष से लम्बित अन्वेषण वाले मामलों की संख्या	इस वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या	इस वर्ष के दौरान अन्वेषण हेतु मामलों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान अन्वेषण किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनका अन्वेषण नहीं किया गया अथवा उस वर्ष के दौरान किसी भी कारण से अन्वेषण रोक दिया गया	वर्ष के दौरान स्थानीय पुलिस को स्थानांतरित किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जो असत्य तथ्य अथवा कानून की गलती अथवा असंज्ञेय अथवा स्वाभाविक रूप से सिविल है / अथवा रोक दिए गए मामलों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

वर्ष के दौरान उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए गए थे	वर्ष के दौरान अभियोग हेतु विभागीय संस्वीकृति के लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान अभियोग के लिए भेजे गए और विभागीय कार्रवाई हेतु भी पंजीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान नियमित विभागीय कार्रवाई हेतु पंजीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान समुचित कार्रवाई हेतु पंजीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए गए बल्कि अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई	वर्ष के अन्त में लम्बित जाँच पड़ताल के मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान वसूली अथवा अभिग्रहण के मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान वसूली गई अभिग्रहित सम्पत्ति का मूल्य (रु में)
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

मुकद्दमा स्तर								
पिछले वर्ष से लम्बित मुकद्दमों के मामले	वर्ष के दौरान मुकद्दमे के लिए भेजे गए मामले	वर्ष के दौरान मुकद्दमों के लिए मामलों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान वापिस लिए गए मामले अथवा अभियुक्त की मृत्यु के कारण समाप्त कर दिए गए मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान जिन मामलों में मुकद्दमा पूरा हो गया उनकी संख्या	वर्ष के दौरान दोषसिद्धि के मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान दोषमुक्त अथवा रिहा किए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अन्त में लम्बित मुकद्दमों के मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान लगाये गए जुर्माने की कुल धनराशि (रु में)
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

1. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 7
2. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 8
3. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 9
4. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 10
5. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 11
6. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 12
7. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 13
8. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 14

9. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 15

10. भा. द. स. 1860 की धारा 409

11. कॉलम क्र. 1-13 में उल्लेखित भ्र. नि. अधिनियम के तहत अपराधों के सन्दर्भ में भा.द. स. 1860 की धारा 120-ख

12. कॉलम क्र. 1-13 में उल्लेखित भ्र. नि. अधिनियम के तहत अपराधों के सन्दर्भ में भा.द. स. 1860 की धारा 109

13. मद संख्या 1 से 12 में सभी धाराओं का योग

प्रपत्र - XVIII

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भा.द.स. की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामलों) में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का विवरण

राज्य/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र. स.	व्यक्ति							
	अपराध शीर्ष	वर्ष के आरम्भ में अन्वेषण के स्तर पर हिरासत में अथवा जमानत पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा अपर्याप्त सबूत या अन्य किसी कारण से रिहा अथवा मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के अन्त में अन्वेषण के स्तर पर जमानत पर अथवा हिरासत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान जिन मामलों में आराप-पत्र दाखिल किए गए उन व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के आरम्भ में न्यायालय में विचाराधीन अभियुक्तों की संख्या	वर्ष के दौरान न्यायालय में विचाराधीन अभियुक्तों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

व्यक्ति							
वर्ष के दौरान न्यायालय में व्यक्तियों की संख्या जिनके मामले वापिस ले लिए गए अथवा समाप्त कर दिए गए	वर्ष के दौरान जिनके मामले बंद कर दिए गए उन व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के अन्त में न्यायालय में विचाराधीन अभियुक्त जो हिरासत में अथवा जमानत पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान उन व्यक्तियों की संख्या जिनके मामलों में मुकद्दमे निरस्त हो चुके थे	वर्ष के दौरान दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान दोषमुक्त व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियमित विभागीय कार्रवाई हेतु दर्ज मामलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान उन व्यक्तियों की संख्या जो समुचित कार्रवाई हेतु दर्ज किए गए मामलों में शामिल थे
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

वर्ष के दौरान विभागीय सजा मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या				वर्ष के दौरान संलिप्त राजपत्रित अधिकारी और सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में कार्यरत उनके समकक्ष अन्य लोक सेवक		वर्ष के दौरान संलिप्त अराजपत्रित अधिकारी और सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में कार्यरत उनके समकक्ष अन्य लोक सेवक	वर्ष के दौरान शामिल निजी व्यक्तियों की संख्या
सेवा से बर्खास्त व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान सेवा से हटाए गए व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान अन्य प्रमुख सजा दिये गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान लघु दंड दिया गया था	उपरोक्त में से समूह क अधिकारियों की संख्या	उपरोक्त में से समूह ख अधिकारियों की संख्या		
(18क)	(18ख)	(18ग)	(18घ)	(19क)	(19ख)	(20)	(21)

1. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 7
2. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 8
3. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 9
4. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 10
5. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 11
6. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 12
7. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 13
8. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 14
9. भ्र. नि. अधिनियम 1988 की धारा 15
10. भा. द. स. 1860 की धारा 409
11. कॉलम क्र. 1-13 में उल्लेखित भ्र. नि. अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के सन्दर्भ में भा. द. स. 1860 की धारा 120-ख
12. कॉलम क्र. 1-13 में उल्लेखित भ्र. नि. अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के सन्दर्भ में भा. द. स. 1860 की धारा 109
13. मद संख्या 1 से 12 में सभी धाराओं का योग

टिप्पणी: कॉलम 3 वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध वर्ष के दौरान मामले पंजीकृत किए गए थे।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायत/ पंजीकृत मामलों का विवरण

(क) प्राप्त शिकायतों / पंजीकृत मामलों का विवरण

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	प्रारंभ की गई जाँच की संख्या			वर्ष के दौरान पंजीकृत आपराधिक मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान पूछताछ/अन्वेषण के बाद असत्य/झूठ घोषित की गई शिकायतें / मामले	वर्ष के दौरान उन मामलों की संख्या जिसमें आरोप-पत्र दाखिल किया गया	आरोपित पुलिस कर्मियों की संख्या जिसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया	वर्ष के दौरान गिरफ्तार पुलिस कर्मियों की संख्या
	विभागीय	मजिस्ट्रेट द्वारा	न्यायिक द्वारा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ख) संलिप्त पुलिस कर्मियों/उन पर की गई कार्रवाई का विवरण

वर्ष के दौरान मुकद्दमें हेतु भेजे गए पुलिस कर्मियों की संख्या	उन पुलिस कर्मियों की संख्या जिनके मामले वापिस ले लिए गए अथवा अन्य तरीकों से निपटान किया गया	उन पुलिस कर्मियों की संख्या जिनके मामलों में वर्ष के दौरान मुकद्दमे पूरे हो गए थे	पुलिस कर्मियों की संख्या	
			दोष सिद्ध	दोष मुक्त
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

(ग) विभागीय कार्रवाई / दण्ड

उन पुलिस कर्मियों की संख्या जिनके विरुद्ध वर्ष के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी	पुलिस कर्मियों की संख्या जिन्हें लघु दंड दिया गया	जिनके मामले वापस किए गए अन्यथा अन्य तरीकों से निपटाए गए	जिनके मामले में वर्ष के दौरान जांच पड़ताल की गई	पुलिस कर्मियों की संख्या			विभागीय जाँच की संख्या जिनमें आरोप सिद्ध एवं दर्ज नहीं हुए	वर्ष के अंत में लंबित विभागीय जाँच की संख्या
				सेवा से पदच्युत	बड़ी शास्ति दी गई	लघु शास्ति दी गई		
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

टिप्पणी: कॉलम 16, कॉलम 21 से भिन्न है, कॉलम 16 में जाँच से पहले मामूली सजा दी गई है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जानकारी का विवरण

क्र. स.	विवरण	संख्या
1	कुल प्राप्त की गई	
1.1	जमानती वारंट	
1.2	गैर-जमानती वारंट	
1.3	सम्मन	
1.4	अन्य प्रक्रियाएं	
2.	पूर्ण की गई प्रक्रियाएं	
3.	लंबित प्रक्रियाएं/अधूरी	

शिकायतों की प्रकृति एवं कुल संख्या जिनके आधार पर पुलिस द्वारा मामले पंजीकृत किए गए थे ।

1. मौखिक शिकायतें
 - 1.1 ओ.सी. (officer incharge) / थाना प्रभारी को बताए जाने वाली
 - 1.2 फोन/डायल 100 इत्यादि पर विपत्ति की काल
 - 1.3 यांत्रिकी रूप में प्राप्त शिकायतें
2. लिखित शिकायतें
 - 2.1 ओ.सी. (officer incharge) / थाना प्रभारी को
 - 2.2 पुलिस अधीक्षक को
 - 2.3 न्यायालय शिकायतें (धारा 156(3) भा.द.स.)
3. अन्य शिकायतें
 - 3.1 मानव अधिकार आयोग (राज्य मानवाधिकार आयोग/एन.एच.आर.सी./एन.सी.पी.सी.) से प्राप्त शिकायते
 - 3.2 राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. आयोग से प्राप्त शिकायते
 - 3.3 पुलिस द्वारा स्वतः पहल की गई शिकायतें
 - 3.4 अन्य
4. कुल शिकायते (मद 1 से 3 तक) उपमदों को छोड़कर
5. पुलिस द्वारा दर्ज की गई गैर-संज्ञेय शिकायतों की संख्या

साइबर अपराध

पंजीकृत संज्ञेय अपराध (मामले) और पुलिस एवं न्यायालय द्वारा उनके निपटान का विवरण

राज्य/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष _____

क्र. स.	अपराध शीर्ष	जाँच स्तर											
		गत वर्ष से लम्बित जाँच के लिए मामले (गत वर्ष के कालम 22 से)	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामले			पंजीकृत मामलों में पीड़ितों की संख्या				जाँच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 (1)ख के अधीन जिन मामलों की जाँच हुई	अन्य पुलिस थाना / मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित किए गए मामले	वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में असत्य होने के कारण समाप्त किए गए
			दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के द्वारा	पुलिस थाना	कुल	पु.	म.	ती. लिंग	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जाँच स्तर							
वे मामले जो अंतिम रिपोर्ट में तथ्य या कानून की गलतबयानी के कारण समाप्त किए गए	वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट गैर-संज्ञेय प्रस्तुत किए गये	मामले जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए गए थे			मामले जिनमें अंतिम रिपोर्ट सत्य पायी गई लेकिन आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए	जाँच किए गए कुल मामले	वर्ष के अंत में जाँच के लिए रह गये लम्बित मामले
		वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल			
15	16	17	18	19	20	21	22

विचारण स्तर													
गत वर्ष के लम्बित विचाराधीन मामले (गत वर्ष के कॉलम 36 से)	वर्ष के दौरान विचारण के लिए भेजे गए मामले	सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	बातचीत और मध्यस्थता (प्ली बार्गेनिंग) द्वारा सुलझाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान विचारण के लिए कुल मामले	शमन अथवा वापिस लिए गए मामले	मामले जिसमें विचारण पूरा किया गया	दोषसिद्धि के मामले			दोषमुक्त या बरी किए गए मामले			वर्ष के अंत में विचारण के लिए लम्बित मामले
							वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों में से	गत वर्षों में पंजीकृत मामलों में से	कुल	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

क: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध

1. कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप (धारा 65)
2. कम्प्यूटर से संबंधित अपराध (धारा 66 और 66 क से इ)
 - 2.1 धारा 66 क के अन्तर्गत
 - 2.2 धारा 66 ख के अन्तर्गत
 - 2.3 धारा 66 ग के अन्तर्गत
 - 2.4 धारा 66 घ के अन्तर्गत
 - 2.5 धारा 66 इ के अन्तर्गत
3. साइबर आतंकवाद (धारा 66 F)
4. इलैक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील प्रकाशन/संप्रेषण/कामुकता दर्शाने वाले क्रियाकलाप इत्यादि (धारा 67 और 67 क से ग)
 - 4.1 धारा 67 क के अन्तर्गत
 - 4.2 धारा 67 ख के अन्तर्गत
 - 4.3 धारा 67 ग के अन्तर्गत
5. स्वेच्छापूर्वक अथवा जान-बूझकर नियंत्रक के आदेशों की अनुपालना न करना (धारा 68)
6. कम्प्यूटर संसाधन में संचित जानकारी को प्रदान करने में असफलता अथवा अवरोध तक पहुँच अथवा मॉनिटर अथवा सूचना की गोपनीयता प्रदान करने में असफलता (धारा 69)
7. किसी कम्प्यूटर संसाधन में जनित, संचारित, प्राप्त होने वाली, भण्डारित अथवा जमा की गई किसी भी सूचना तक जनता की पहुँच/सम्पर्क बनने में असफलता अथवा जनता द्वारा पहुँच बनाने में रूकावट का कारण होना (धारा 69क)
8. सरकारी एजेंसी द्वारा छिपाए जाने वाली सूचना को रोकने में सहायक न बनना (धारा 69 ख)

9. संरक्षित कम्प्यूटर सिस्टम में अप्राधिकृत रूप से पहुँचना/ पहुँचने का प्रयास करना (धारा 70)
10. तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके/छुपा कर लाइसेंस प्राप्त करना या डिजिटल हस्ताक्षर करना (धारा 71)
11. गोपनीयता/निजिता भंग करना (धारा 72)
12. कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करके सूचना देना (धारा 72क)
13. झूठा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र प्रकाशित करना (धारा 73)
14. कपटपूर्ण/विधि विरुद्ध उद्देश्य के लिए इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र बनाना / प्रकाशित करना (धारा 74)
15. अन्य
16. कुल (क) (उपशीर्षों को छोड़कर मद 1 से 15)

ख. भा.द.स. के अन्तर्गत वो अपराध जिनमें कम्प्यूटर को माध्यम / लक्ष्य बनाया हो :

1. लोक सेवक द्वारा अपराध (धारा 167)
2. इलैक्ट्रॉनिक प्रमाण में जालसाजी/नष्ट करना (धारा 193, 204)
3. छल / धोखा करना (धारा 420)
4. जालसाजी (धारा 465, 468 एवं 471)
5. आँकड़ों की चोरी (धारा 379 से 381)
6. आपराधिक न्यास भंग/कपट (धारा 406, 408, 409)
 - (i) जमा / नामे कार्ड (क्रेडिट / डेबिट कार्ड)
 - (ii) अन्य
7. कूटकरण
 - (i) मुद्रा (धारा 489 क से 489इ)
 - (ii) स्टांप (धारा 255)
8. अन्य
9. कुल (ख) (उपशीर्षों को छोड़कर मद 1 से 8)

ग. स्थानीय एवं विशेष कानून (एस.एल.एल.)के अन्तर्गत वो अपराध जिनमें कम्प्यूटर को माध्यम / लक्ष्य बनाया हो :

1. कॉपीराइट अधिनियम, 1957
 - 1.1 धारा 63 के अन्तर्गत
 - 1.2 धारा 68क के अन्तर्गत
 - 1.3 अन्य
2. ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999
 - 2.1 धारा 102 के अन्तर्गत
 - 2.2 धारा 103 के अन्तर्गत
 - 2.3 धारा 104 के अन्तर्गत
 - 2.5 अन्य
3. अन्य स्थानीय एवं विशेष कानून
4. कुल (ग) (उपशीर्षों को छोड़कर मद 1 से 3)

संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तार तथा अभियुक्त व्यक्तियों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान का विवरण

(साइबर अपराध)

राज्य/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय का नाम _____ वर्ष: _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति			साक्ष्य प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य कारण से पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किए गए अथवा मुक्त किए गए व्यक्ति या अन्य पुलिस थाने में हस्तांतरित व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में जाँच की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति		
		पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के आरंभ में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान विचारण के अधीन व्यक्तियों की कुल संख्या			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामलों में न्यायालय द्वारा समझौता करवाया गया			व्यक्ति जिनके विरुद्ध मामले वापस लिए गए थे		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में व्यक्ति			वर्ष के अंत में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर व्यक्ति			वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों के मामलों में विचारण हो चुका था			दोषसिद्ध व्यक्ति			दोषमुक्त व्यक्ति			न्यायालय द्वारा रिहा किए गए व्यक्ति		
पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

टिप्पणी: प्रपत्र XXII भाग - क, ख और ग के अनुसार अपराध शीर्ष

लिंग एवं आयु-वर्ग के अनुसार साइबर अपराधों के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए (18 वर्ष व इससे अधिक) व्यक्तियों का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र.स.	अपराध शीर्ष	18 वर्ष और इससे अधिक एवं 30 वर्ष से कम			30 वर्ष और इससे अधिक एवं 45 वर्ष से कम			45 वर्ष और इससे अधिक एवं 60 वर्ष से कम			60 वर्ष और इससे अधिक			कुल आयु-वर्ग का जोड़		सभी व्यक्तियों का कुल योग (कॉलम 15+16)
		पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पु	स्त्री	कुल	पुरुष (कॉलम 3+6+9+12)	स्त्री (कॉलम 4+7+10+13)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

टिप्पणी: प्रपत्र XXII भाग - क, ख और ग के अनुसार अपराध शीर्ष

प्रपत्र - XXII ग

गिरफ्तार किए गए किशोरों का विवरण

राज्य का नाम/स.शा.प्र./नगर/कार्यालय _____ वर्ष _____

क्र. स.	अपराध शीर्ष	किशोरों के प्रति दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या	आयु वर्ग में किशोर											कुल योग (कॉलम 13+14)
			12 वर्ष से कम			12 वर्ष एवं अधिक 16 वर्ष से कम			16 वर्ष एवं अधिक 18 वर्ष से कम			कुल आयु-वर्ग का जोड़		
			लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के (कॉलम 4+7+10)	लड़कियाँ (कॉलम 5+8+11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

टिप्पणी: अपराध शीर्ष प्रपत्र XXII के भाग - क, ख और ग के अनुसार

प्रपत्र - XXII घ

साइबर अपराध के उद्देश्य और गिरफ्तार अथवा अभियुक्त व्यक्तियों का विवरण

क. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भा.द.स. और एस. एल. एल. के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या

प्रपत्र - XXII के कॉलम 6 के अन्तर्गत कुल (क) + कुल (ख) + कुल (ग)

ख. (1) अपराध के उद्देश्य से साइबर अपराधों का विवरण

क्र. सं.	उद्देश्य	मामलों की संख्या
1.	व्यक्तिगत प्रतिशोध / अतीत में नुकसान के व्यक्तिगत कारण से	
2.	भावनात्मक कारण जैसे क्रोध, प्रतिशोध इत्यादि	
3.	लालच / आर्थिक स्वार्थ	
4.	जबरन वसूली / उद्धापन	
5.	बदनामी करने के उद्देश्य से	
6.	शरारत/नियंत्रण प्राप्त करने की संतुष्टि	
7.	धोखेबाजी / भौतिक लाभ	
8.	महिलाओं की लज्जा का अपमान	
9.	यौन उत्पीड़न	
10.	राजनैतिक प्रयोजन	
11.	घृणा उत्तेजित करने के अपराध	11.1 समुदाय के प्रति
		11.2 देश के प्रति
12.	लोक सेवाएं बाधित करना	
13.	अवैध दवाइयों / मदों का क्रय / विक्रय	

14.	अपना व्यवसाय / हित विकसित करने हेतु	
15.	चौर्य फैलाने हेतु	
16.	गम्भीर मानसिक बीमारी जैसे विकार इत्यादि	
17.	जासूसी के लिए सूचना चोरी करना	
18.	भयादोहन के उद्देश्य	
19.	अन्य	
20.	कुल (मद 1 से 19)	

टिप्पणी: (1) (क्र.स.10) राजनैतिक कारण वाले आँकड़े (क्र.स.5) अनादर करने के लिए आँकड़ों से भिन्न होने चाहिए, केवल राजनीति से संबंधित अपराध ही इसमें शामिल किये जाने चाहिए।

(2) यौन उत्पीड़न (क्र. स. 9) के आँकड़े महिलाओं की लज्जा का अनादर (क्र.स.8) के आँकड़ों से भिन्न होने चाहिए, केवल घृणित एवं लज्जा के अपमान के फलस्वरूप अपराध लैंगिक उत्पीड़न (क्र. स. 9) में शामिल किये जाने चाहिए।

ख. (2) गिरफ्तार किए गए अथवा दोषी व्यक्तियों की रूपरेखा

क्र. सं.	गिरफ्तार किए गए अथवा दोषी व्यक्ति	व्यक्तियों की संख्या
1.	विदेशी राष्ट्रियता वाले व्यक्ति (1.1+1.2+1.3+1.4 का योग)	
	1.1 यौन विकृति	
	1.2 क्रैकर / हैकर	
	1.3 साइबर आतंकवादी	
	1.4 अन्य	
2.	भारतीय राष्ट्रियता वाले व्यक्ति (2.1 से 2.11 का योग)	
	2.1 कर्मचारी / असंतुष्ट कर्मचारी	
	2.2 व्यवसायिक प्रतिद्वन्धी	
	2.3 पड़ोसी / मित्र एवं संबंधी	
	2.4 यौन विकृति	
	2.5 छात्र	
	2.6 मानसिक असंतुलन से पीड़ित व्यक्ति	
	2.7 साइबर आतंकवादी	
	2.8 पेशेवर / कौशल कम्प्युटर गीक क्रैकर / हैकर (कम्प्युटर वायरस/मालवेयर फैलाने वाले)	
	2.9 राजनैतिक व्यक्ति	
	2.10 धार्मिक व्यक्ति	
	2.11 अन्य	
3.	कुल (मद 1 +2)	

न्यायालयों का विवरण और विचारणों की अवधि (केवल भा.द.स. अपराधों के लिए)

क्र. सं.	न्यायालय का प्रकार	मामलों की कुल संख्या जिनमें विचारण पूरा हो गया							
		विचारण की अवधि							
		6 महीने से कम	6 महीने एवं उससे ऊपर - 1 वर्ष से कम	1 वर्ष एवं उससे ऊपर - 3 वर्ष से कम	3 वर्ष एवं उससे ऊपर - 5 वर्ष से कम	5 वर्ष एवं उससे ऊपर 10 वर्ष से कम	10 वर्ष एवं उससे ऊपर	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	जिला/सत्र जज								
2.	अतिरिक्त सत्र जज								
3.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट								
4.	न्यायिक दण्डाधिकारी(I)								
5.	न्यायिक दण्डाधिकारी(II)								
6.	विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी								
7.	किशोर न्याय बोर्ड								
8.	अन्य न्यायालय								
9.	कुल (मद 1 से 8)								

ऑटो चोरी (चोरी किए गए एवं बरामद वाहनों का विवरण)

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	चोरी हुए सरकारी वाहन	बरामद हुए सरकारी वाहन	बरामद सरकारी वाहन को सौपना	चोरी हुए निजी वाहन	बरामद हुए निजी वाहन	बरामद निजी वाहन को सौपना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मोटर साइकिल / स्कूटर						
2.	हल्के मोटर वाहन						
	क. कार						
	ख. खेलोपयोगी (एस.यू.वी.) / बहु-उपयोगी वाहन						
	ग. अन्य हल्के मोटर वाहन (टैक्सी/जीप/वैन इत्यादि)						
3.	सामान ढोने वाले वाहन (ट्रक इत्यादि)						
4.	सार्वजनिक परिवहन (बस)						
5.	तिपहिया वाहन						
6.	अन्य वाहन						
7.	कुल (मद 1 से 6)						

शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभिग्रहण की मात्रा

1. शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत (जिसमें कि शस्त्र की बरामदगी हुई हो) दर्ज मामलों की संख्या
2. अभिग्रहित किए गए शस्त्रों की मात्रा (संख्या)
 - 2.1 गैर- लाइसेंस / तत्कालिक / अपरिष्कृत / देश निर्मित शस्त्र
 - 2.2 लाइसेंस / कारखाना निर्मित शस्त्र
 - 2.3 अन्य
3. अभिग्रहित आयुधों (Ammunition) की (मात्रा/संख्या)

विस्फोटक एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत बरामद विस्फोटक

1. विस्फोटक एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत (जिसमें कि शस्त्र की बरामदगी हुई हो) दर्ज मामलों की संख्या
2. कारखाना निर्मित
 - 2.1 प्रस्फोटक (संख्या में)
 - 2.2 (RDX) आर. डी. एक्स (कि.ग्रा.में)
 - 2.3 (TNT) टी. एन.टी. (कि.ग्रा.में)
 - 2.4 जिलेटिन छड़े (संख्या में)
 - 2.5 हथगोले / बारूदी सुरंग (संख्या में)
 - 2.6 अन्य प्लास्टिक विस्फोटक (कि.ग्रा.में)
 - 2.7 अन्य
3. देशी बम (संख्या में)
4. एल.ई.डी./ बारूदी सुरंग (संख्या में)
5. अन्य

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अन्तर्गत मादक द्रव्यों का अभिग्रहण एवं विनाश #

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अन्तर्गत (जिसमें कि शस्त्र की बरामदगी हुई हो) दर्ज मामलों की संख्या

क्र. स.	मादक द्रव्य	अभिग्रहित / बरामद किए गए मादक द्रव्य	
		कि.ग्रा. में	लीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अफीम (कि.ग्रा.)		
2.	मॉर्फिन (कि.ग्रा.)		
3.	हेरोइन (कि.ग्रा.)		
4.	गांजा (कि.ग्रा.)		
5.	हशिश (कि.ग्रा.)		

6.	कोकीन (कि.ग्रा.)		
7.	मेथाक्वूलोन (कि.ग्रा.)		
8.	एफीड्राइन (कि.ग्रा.)		
9.	एल.एस.डी. (sq paper) (संख्या में)		
10.	एसीटिक एनहाइड्राईड(ली.)		
11.	एम्फेटेमीन (कि.ग्रा.)		
12.	चरस (कि.ग्रा.)		
13.	फेन्सीडाइल		
14.	अन्य (कि.ग्रा.)		
15.	कुल (मद 1 से 14)		

एन.सी.बी. प्रशासन के अतिरिक्त पुलिस द्वारा पंजीकृत किए गए एन.डी.पी.एस. मामले

प्रपत्र - XXIX क

स्वापक औषध उत्पादक पौधों का विनाश

1. (अफीम)पोस्त के पौधों की उपज का क्षेत्रफल (एकड़) में
2. (अफीम)पोस्त के पौधों की उत्पादन क्षमता (कि.ग्रा.) में
3. भांग के पौधों की उपज का क्षेत्रफल (एकड़) में
4. भांग के पौधों की उत्पादन क्षमता (कि.ग्रा.) में
5. अन्य

प्रपत्र - XXXक

उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत

1. उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत (जिसमें कि शस्त्र की बरामदगी हुई हो) दर्ज मामलों की संख्या
2. शराब की बरामदगी (लीटर में)
 - 2.1 देशी / देश निर्मित शराब
 - 2.2 कारखाने में निर्मित अवैध शराब
 - 2.3 अन्य

विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभिग्रहण

विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत (जिसमें कि शस्त्र की बरामदगी हुई हो) मामलों की संख्या

क्र. स.	मौद्रिक मूल्यवर्ग	मान रूपयों में	मुद्रा अभिग्रहण/ बरामद की गई (संख्या में)		
			(उच्च मान एफ.आइ.सी.एन. में)	अन्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	` 1000				
2.	` 500				
3.	` 100				
4.	` 50				
5.	अन्य (भारतीय मुद्रा)				
6.	विदेशी मुद्रा				
7.	कुल (मद 1 से 6)				

टिप्पणी: 1. उच्च मान एफ.आइ.सी.एन. से अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसमें बहुत अधिक समानता होने के कारण उसकी पहचान करना बहुत कठिन हो जाए।

3. मुद्रा अभिग्रहण/ बरामद नोटों का अभिप्राय सभी प्रकार के नोटों की बरामदगी से है न की सिर्फ नकली नोटों से

बरामद किए गए अज्ञात शर्षों की संख्या व की गई तहकीकात

3. निम्न के कारण पुलिस हिरासत में मृत्यु की संख्या:

- 3.1 पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा शारीरिक चोट के कारण हुए घाव
- 3.2 पुलिस हिरासत से पहले हुए घाव
- 3.3 उत्तेजित जन समूह द्वारा हमला/बल्वा
- 3.4 अन्य अपराधियों द्वारा हमला
- 3.5 आत्महत्या
- 3.6 हिरासत से भागने के दौरान
- 3.7 बीमारी
- 3.8 स्वाभाविक मृत्यु
- 3.9 सड़क दुर्घटना / अन्वेषण से संबंधित यात्रा
- 3.10 अस्पताल में दाखिल के दौरान
- 3.11 अन्य
- 3.12 कुल (3.1 से 3.11 तक)

प्रपत्र - XXXIV

पुलिस हिरासत से निकल भागना

1. पंजीकृत मामलों की संख्या:-----
धारा 224, 225 ख
2. उपरोक्त मामलों में भाग निकलने वाले:-----
व्यक्तियों की संख्या
3. भाग निकलने वाले व्यक्तियों का विवरण
(i) हवालात से भाग निकलना:-----
(ii) हवालात के बाहर से भागना:-----
(iii) कुल (i) + (ii)
4. भाग निकलने वालों की संख्या जो
पुनः गिरफ्तार किए गए
(i) हवालात से भागने वाले:-----
(ii) अन्य कारण से भागने वाले:-----
5. भागने के अपराध में आरोप-पत्र दाखिल मामले: मामलों की संख्या व्यक्तियों की संख्या
6. न्यायालय द्वारा निपटान मामलों की संख्या व्यक्तियों की संख्या.....
(i) विचारण पूर्ण हो चुका
(ii) दोषसिद्ध के मामले
(iii) दोषमुक्ति के मामले
(iv) विचारण के लिए लंबित मामले
- मद 6 (i) = मामलों एवं व्यक्तियों दोनो के लिए मद 6 (ii) एवं 6 (iii) का योग
7. भागने के आरोप में कारावास की सजा मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या
(क) 3 वर्ष तक
(ख) 3 वर्ष से अधिक

टिप्पणी: (न्यायालय से लाने ले जाने तक की यात्रा, गिरफ्तारी स्थल से पी.एस. तक यात्रा, इलाज हेतु हवालात से बाहर ले जाते हुए, अस्पताल से भाग निकलना इत्यादि)

3(i) + 3(ii) का योग = 3(iii)

मद 3 (iii) = 2